G20 भारत 2023 INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

बीओआई

वार्ता

बैंक ऑफ़ इंडिया की तिमाही हिंदी गृहपत्रिका

जून, 2023

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय नोएडा द्वारा राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन

बैंक ऑफ इंडिया, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय नोएडा द्वारा दिनांक 11-04-2023 को राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की सचिव एवं आईएएस श्रीमती अंशुली आर्या तथा बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री सुब्रत कुमार उपस्थिति रहे। कार्यक्रम में सामयिक विषयों (प्रथम उप-विषय - वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुवाद का सरलीकरण; द्वितीय उप-विषय - शब्द, शब्दावली की अवधारणा तथा बैंक एवं प्रशासन में उसकी प्रासंगिकता) पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

आयोजन की मुख्य अतिथि श्रीमती अंशुली आर्या महोदया के कर-कमलों से बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग द्वारा बनाई गयी राजभाषा कार्यान्वयन की वार्षिक कार्ययोजना 2023-24 का विमोचन किया गया।

विषय-सूची

चैट GPT: मानव-मशीन संवाद की नई यात्रा तथा संवादात्मक क्रांति	06
अपशिष्ट प्रबंधन की अवधारणा एवं पर्यावरण का महत्व	09
ग़म-ए-जुदाई	14
सोलन : एक परिचय	16
राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) एवं द्विभाषिकता संबंधी अन्य प्रावधान: एक अध्ययन	18
मातृभाषा का महत्त्व	20
हौसला	22
प्राण-चिकित्सा	23
मेरी जगन्नाथपुरी यात्रा	24
भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी बैंकों की भूमिका	25
चारी सर	27
रानी रासमणि	29
स्वाभिमान: आत्मसम्मान का प्रतीक	31
परिश्रम ही सफलता की कुंजी है	32
भारत का अमृत काल	34
तीसरी आँख	37

संरक्षक

श्री सुब्रत कुमार

कार्यपालक निदेशक

मार्गदर्शक

श्री अभिजीत बोस

मुख्य महाप्रबंधक

प्रधान संपादक

श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी

महाप्रबंधक

उप प्रधान संपादक

सुश्री मऊ मैत्रा

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

श्री एस चंद्रशेखर, मुख्य प्रबंधक

श्री पुनीत सिन्हा, मुख्य प्रबंधक

डॉ. पीयूष राज, मुख्य प्रबंधक

श्री निरंजन कुमार सामरिया, वरिष्ठ प्रबंधक

यह आवश्यक नहीं कि पत्रिका में छपे लेखों में व्यक्त विचार बैंक के हों।

प्रधान संपादक,
बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय,
राजभाषा विभाग, स्टार हाउस, जी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051

कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय साथियो,

बीओआई वार्ता के इस अंक के माध्यम से आपसे संवाद करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

हम सभी के लिए यह अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है कि जून तिमाही में हमारे बैंक का कारोबार 12 लाख करोड़ को पार कर गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि में हमारे प्रत्येक स्टाफ सदस्य का महती योगदान रहा है। अपने इस अतुलनीय प्रयास और कड़ी मेहनत के लिए मैं प्रत्येक स्टाफ सदस्य को हार्दिक बधाई देता हूँ।

बैंक ने जून तिमाही के परिणाम घोषित कर दिए हैं जो काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। हमने गत वित्त वर्ष की समान तिमाही के साथ-साथ मार्च तिमाही की तुलना में जून तिमाही में सभी मानदंडों में काफी अच्छा वित्तीय कार्यनिष्पादन किया है जो हमारे स्टाफ सदस्यों द्वारा किए गए कठोर परिश्रम की ओर संकेत करता है। हमने गत वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में जून तिमाही में निवल लाभ में लगभग तीन गुने की वृद्धि दर्ज़ की है, परिचालन लाभ में भी शानदार वृद्धि देखी जा सकती है, खराब ऋणों हेतु किए जाने वाले प्रावधान में कमी हुई है, सकल एनपीए के साथ-साथ निवल एनपीए भी कम हुआ है जो हमारी आस्ति गुणवत्ता में सुधार का परिचायक है। इस वित्तीय वर्ष की आगामी तिमाहियों के दौरान भी हमें कारोबार में निरंतर वृद्धि के प्रयास जारी रखने हैं और ऋण और जमा दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज़ करनी है। याद रहे कि हाल ही में हमने गत वित्त वर्ष में अपने शानदार वित्तीय परिणामों के परिणामस्वरूप 'परफ़ोर्मेंस लिंक्ड इन्सेंटिव' प्राप्त किया है, और ये जारी रहना चाहिए।

भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप हम अपने बैंक में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे विभिन्न अंचलों को प्राप्त हो रहे क्षेत्रीय पुरस्कार और नराकास पुरस्कार इस बात की गवाही देते हैं। भविष्य में भी हमें श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए अधिक पुरस्कार प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते रहना है । हम अपने बैंक में क्षेत्रीय भाषाओं की सु-वृद्धि के लिए भी लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। बैंकिंग एक सेवा उद्योग है और इस क्षेत्र की यह अनिवार्यता है कि हम अपने ग्राहकों के साथ उनकी भाषा में बात करें, अपने उत्पाद और सेवाओं की जानकारी दें और आवश्यक होने पर पत्राचार उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाए।

मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्टाफ सदस्य अपने दैनिक बैंकिंग कामकाज में हिन्दी एवं स्थानीय भाषाओं का प्रयोग कर दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें और राजभाषा हिन्दी में कामकाज के अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करें।

शुभकामनाओं के साथ ...

भवदीय,

सुब्रत कुमार

(सुब्रत कुमार)

प्रधान संपादक की कलम से

प्रिय साथियो,

बीओआई वार्ता के इस नवीनतम अंक के प्रधान संपादक के रूप में आपसे संवाद करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। गृहपत्रिका के माध्यम से जहां स्टाफ सदस्यों के विचारों, उनकी लेखन प्रतिभा का परिचय मिलता है, वहीं यह पारस्परिक संवाद-सेतु की भूमिका भी निभाती है। यह एक ऐसी पत्रिका है जिसमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा हमारे स्टाफ सदस्य एक-दूसरे से परिचित होते हैं, एक-दूसरे की प्रतिभाओं और कौशल से अभिभूत होते हैं। इसके माध्यम से एक-दूसरे के ज्ञान का लाभ उठाकर संस्था के विकास के लिए समेकित प्रयास करते हैं। अतएव मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस पत्रिका में स्तरीय, रोचक और ज्ञानवर्धक आलेख, बैंकिंग विषयों से संबंधित संस्मरण आदि निरंतर प्रेषित करते रहें। मुझे विश्वास है कि आपकी उच्च स्तरीय रचनाएँ अपने सहकर्मियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेंगी।

आप सभी इस तथ्य से भली-भांति अवगत होंगे कि किसी तकनीकी क्षेत्र में भाषा और शब्दावली के निर्माण और उनके सहज प्रचलन के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है। बैंकिंग एक ऐसा ही तकनीकी क्षेत्र है। इसका क्षेत्र अत्यंत विशाल है। यहाँ कामकाज की विविधता की कोई सीमा नहीं है। हमारे स्टाफ सदस्यों को बैंकिंग से जुड़े विविध विषयों पर निरंतर रचनात्मक लेखन करना है। बैंकिंग विषयों पर उनके लेखन में एकरूपता नहीं, वैविध्य होना चाहिए; साथ ही विषयों में नवीनता होनी चाहिए। तभी हम न केवल बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में उन्नत किस्म का लेखन कर पाएंगे, बल्कि भारत सरकार की राजभाषा नीति की अपेक्षाओं का भी उचित ढंग से पालन कर पाएंगे। भारत सरकार हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए जितना प्रतिबद्ध है, हमें भी अपने क्षेत्र में हिन्दी के विकास के लिए उतना ही प्रतिबद्ध रहना होगा।

बैंक के परिचालन में निरंतर सुधार हो रहा है। हम सबके अथक प्रयासों से बैंक की स्थिति और भी सुदृढ़ होगी तथा यह सबके पसंदीदा बैंक के रूप में स्थापित होगा। जरूरत इस बात की है कि हमारी ग्राहक सेवा श्रेष्ठ हो। हम सदैव इसे ध्यान में रखें कि शाखा परिसर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए महत्त्वपूर्ण है। इसलिए पर्याप्त शिष्टाचार का ध्यान रखें, परिसर को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखें तथा अपने कर्तव्य निष्पादन में उच्च प्रबंधन और विनियमों की अपेक्षाओं का ध्यान रखें।

शुभकामनाओं के साथ ...

भवदीय,

(प्रमोद कुमार द्विवेदी)

चैट GPT: मानव-मशीन संवाद की नई यात्रा तथा संवादात्मक क्रांति

बिपिन विश्वकर्मा
प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.
युगांडा

परिचय

आज के अत्यधिक डिजिटल युग में, मानव और मशीन के बीच संवाद महत्वपूर्ण है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, चैटबॉट्स और अन्य संचार माध्यमों ने हमें भाषा के माध्यम से इंटरनेट नेटवर्क पर एक-दूसरे के साथ अनुभव साझा करने का नया तरीका दिया है। इस अति-जटिल, परस्पर जुड़े सिस्टम्स में एक विशेष जानकारी वाले और शिक्षित संगणक प्रणालियों की आवश्यकता होती है जो मानव-मशीन संवाद को समझने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो। चैट GPT एक इसी तरह का सिस्टम है।

चैट GPT (Generative Pre-trained Transformer) एक अति-जटिल और प्रगतिशील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे OpenAI ने विकसित किया है। यह भाषा-आधारित संवाद इंजन है जो प्रयोगकर्ताओं के साथ विभिन्न स्तरों पर संवाद करने की क्षमता रखता है। चैट GPT एक प्रशिक्षित संवादात्मक सिस्टम है जो अद्यतित, संप्रेषणशील और सहज ढंग से भाषा के साथ काम करता है। यह मानव-जैसे संवाद सिमुलेशन करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम, भाषा मॉडलिंग, और एम्बेडिंग तकनीकों का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में इसे एक बनावटी (कृत्रिम) तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता भी कह सकते हैं ।

चैट GPT को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोगकर्ता-संवादों के एक बड़े डेटाबेस का उपयोग किया जाता है जिसमें लिखित और भाषण रूप संवादों का संग्रह होता है। यह डेटाबेस विभिन्न स्त्रोतों से लिया गया होता है जिसमें इंटरनेट, सार्वजनिक संवाद, साहित्यिक कार्य और अन्य कई स्त्रोत शामिल होते हैं। प्रशिक्षित डेटा के आधार पर, चैट GPT संवाद को समझता है, सही उत्तर प्रदान करता है और संवाद को सतत ढंग से आगे बढ़ाता है।

चैट GPT का उपयोग करके उपयोगकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका उपयोग व्यापार, ग्राहक सहायता, शिक्षा, संगठन और व्यक्तिगत सलाह के क्षेत्र में किया जा सकता है। चैट GPT उपयोगकर्ताओं को संवाद की अद्वितीयता और आदर्शता प्रदान करता है जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता और व्यापकता वाले संवाद साधित करने में मदद मिलती है।

चैट GPT एक विकसनशील संवाद इंजन है जो भविष्य में भी बड़े परिवर्तन ला सकता है। तकनीकी उन्नति, नैतिक मुद्दे और अनुभव की महत्ता पर ध्यान देते हुए, चैट GPT निरंतर विकसित हो रहा है ताकि उपयोगकर्ता को सर्वोत्तम संवाद और उपयोगशीलता की सुविधा मिल सके। इससे संवाद के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं और मानव-मशीन संवाद को नए स्तर पर ले जा सकते हैं।

चैट GPT की कार्यप्रणाली

चैट GPT की कार्यप्रणाली निम्नलिखित चरणों पर आधारित होती है:

प्रशिक्षित डेटा संग्रह: चैट GPT को प्रशिक्षित करने के लिए एक बड़ा डेटासेट इंटरनेट से एकत्र किया जाता है। इस डेटासेट में सार्वजनिक संवाद, वेब पृष्ठ, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त वाक्यांश और संवाद शामिल होते हैं।

प्रशिक्षण विधि: चैट GPT को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण संगठन होता है, यह उपयोगकर्ताओं के साथ वाक्यों के संवाद का उपयोग करता है। यह संवाद का एक भाग होता है जिसमें प्रशिक्षण संगठन के प्रतिनिधि व्यक्ति और चैट GPT के प्रशिक्षणकर्ता शामिल होते हैं।

भाषा मॉडलिंग: चैट GPT एक ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क का उपयोग करता है जो भाषा को समझने और उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यह नेटवर्क वाक्यांशों के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए स्थापित किया जाता है जैसे कि संवाद संरचना, संकेतक और प्रतिक्रियाएं।

संवाद का प्रगणन: चैट GPT का प्रमुख उद्देश्य संवाद के प्रगणन का है। जब एक प्रयोगकर्ता चैट GPT के साथ संवाद करता है, तब वह उसके प्रश्नों और प्रविष्टियों के नेटवर्क को समझता है और उत्तर देने के लिए पहलुओं को जोड़ता है। यह संवाद के दौरान संगृहीत ज्ञान का उपयोग करता है और नई जानकारी को भी उत्पन्न करता है।

उत्पादन: चैट GPT का उत्पादन उपयोगकर्ता के साथ संवाद के रूप में होता है। यह उत्पादन उपयोगकर्ता के प्रश्नों के उत्तर देता है, उसे सलाह देता है और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है। चैट GPT, संवाद के माध्यम से प्रयोगकर्ता के साथ संप्रेषणशील रूप से काम करता है और संवाद को सतत ढंग से आगे बढ़ाता है।

चैट GPT की कार्यप्रणाली उपयोगकर्ता के अनुरोधों और संवाद के विभिन्न पहलुओं को समझने पर आधारित है। यह उपयोगकर्ताओं को अद्वितीय और व्यक्तिगत संवाद प्रदान करता है जो उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा, चैट GPT विकसनशीलता के साथ संवाद में वृद्धि करने की क्षमता रखता है और यह उच्चतम संवाद गुणवत्ता और उपयोगिता प्रदान करने के लिए समय के साथ स्वयं सीखता है।

चैट GPT के उपयोग

चैट GPT का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है और इसके कई उपयोग हैं। यहां हम कुछ मुख्य उपयोगों पर चर्चा करेंगे।

व्यापार में चैट समर्थन: चैट GPT का उपयोग व्यापारों में चैट-आधारित समर्थन सेवाओं के लिए किया जाता है। इससे व्यापारों को अपने ग्राहकों के साथ संवाद करने, उनके प्रश्नों का उत्तर देने, सलाह देने और समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है।

वेबसाइटों में चैटबॉट: चैट GPT को वेबसाइटों में चैटबॉट के रूप में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट पर संवाद करने, जानकारी प्राप्त करने और सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। चैटबॉट संवाद का स्वतंत्र रूप से प्रकटन करता है और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर संवाद: चैट GPT को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर संवाद करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को अपने दोस्तों और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद करने, प्रश्न पूछने, मनोरंजन करने और ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

विद्यालयों और शिक्षा में सहायता: चैट GPT का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में सहायता के लिए भी किया जा सकता है। यह छात्रों को उनके शिक्षा संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने, विषय से संबंधित सामग्री प्रदान करने और अध्ययन सामग्री के मामले में मदद करता है।

नवीनतम समाचार और जानकारी प्राप्त करना: चैट GPT का उपयोग नवीनतम समाचार, वाणिज्यिक जानकारी, स्वास्थ्य संदेश और अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को समाचार स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त करने और विषय से संबंधित सवालों के उत्तर देने में मदद करता है।

चैट GPT का उपयोग अधिकतर व्यापार, वेबसाइट, सामाजिक मीडिया, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में संवाद को सुगम और सहज बनाने के लिए किया जा सकता है। यह एक सुविधाजनक और प्रभावी साधन है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है और उन्हें विभिन्न सेवाओं के लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

चैट GPT की सीमाएं और चुनौतियाँ

चैट GPT एक उन्नत तकनीक है जो संवाद को सुगम बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं और चुनौतियाँ भी हैं। यहां हम चैट GPT की कुछ मुख्य सीमाओं और चुनौतियों पर विचार करेंगे:

संवेदनशीलता की कमी: चैट GPT एक प्रशासनिक तकनीक है और यह सामान्यत: निष्पक्ष होता है। इसलिए, यह संवेदनशील मुद्दों को समझने और संभालने में कठिनाइयों का सामना कर सकता है। इसे कभी-कभी संवाद के संदर्भ में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है ताकि गलत या विवादास्पद सामग्री प्रदर्शित न हो।

गलत जानकारी देने का खतरा: चैट GPT एक विशाल डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करके संवाद करता है, लेकिन कभी-कभी यह गलत या असत्य जानकारी भी प्रदान कर सकता है।

इसलिए आवश्यक है कि चैट GPT को हमेशा एक सत्यापन प्रक्रिया के साथ उपयोग किया जाना चाहिए ताकि यह सही और मान्य जवाब प्रदान कर सके।

संवाद की अनिश्चितता: चैट GPT का संवाद कभी-कभी अनिश्चित हो सकता है और उपयोगकर्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है। इसका कारण है कि चैट GPT निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में डेटा और सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यह कभी-कभी आदर्श संवाद का पूरी तरह से प्रतिस्थापन नहीं कर पाता है।

निजता और सुरक्षा संबंधी मुद्दे: चैट GPT का उपयोग करते समय निजता और सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसका कारण है कि यह संवाद के दौरान उपयोगकर्ताओं से निजी और व्यक्तिगत जानकारी की मांग कर सकता है और इससे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। सुरक्षा के मामले में सावधानी बरतना आवश्यक है और उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी निजी जानकारी सुरक्षित रहे।

चैट GPT की अपनी सीमाएं और चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसके उपयोग से हमें बहुत सारे लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। संवाद की सुगमता, ज्ञान प्राप्ति, व्यापार और शिक्षा में सहायता, नवीनतम समाचार और जानकारी प्राप्त करना आदि चैट GPT के मुख्य उपयोग हैं। इसे सुरक्षा, सत्यापन और उपयोगकर्ता की समझदारी के साथ उपयोग करना चाहिए ताकि हम संवाद के माध्यम से बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकें।

चैट GPT और भविष्य का नजरिया

चैट GPT एक निरंतर विकसित होने वाली तकनीक है और इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। यह तकनीक संवाद को सुगम और सहज बनाने का एक नवीनतम तरीका है और आगामी वर्षों में इसके उपयोग और विकास में अत्यधिक विस्तार की संभावना है। यहां चैट GPT के भविष्य के बारे में कुछ प्रमुख नजरिए प्रस्तुत हैं:

संवाद का सुधार: चैट GPT के तकनीक के अग्रणी उद्योगों में से एक होने की संभावना है। इसके लिए गतिशील संवाद को अधिक सुगम और नेतृत्वपूर्ण बनाने के लिए नए फीचर्स, सुरक्षा परिरक्षण और सामग्री सत्यापन को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं को एक बेहतर संवाद का अनुभव मिलेगा।

व्यापार में उपयोग: चैट GPT को व्यापारों ने भी उपयोग करना शुरू किया है और इसका उपयोग आगामी वर्षों में बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा। इसे ग्राहक सहायता, उत्पादों और सेवाओं का प्रचार-प्रसार, बिक्री और बाजार अनुसंधान, ब्रांड बनाने और मार्केटिंग आदि में उपयोग किया जा सकता है। चैट GPT के द्वारा व्यापारों को सिस्टम के साथ संवाद करने का एक नया और अद्वितीय तरीका मिलेगा जिसमें किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी ।

शिक्षा में उपयोग: शिक्षा क्षेत्र में भी चैट GPT का उपयोग बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। यह छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित सवालों के उत्तर देने, अभ्यास प्रश्नों को हल करने और शिक्षा सहायता के लिए एक साथी के रूप में कार्य कर सकता है। शिक्षकों को छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद मिलेगी।

सामाजिक प्रभाव: चैट GPT तकनीक के विकास से समाज पर एक अलग तरह का प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके माध्यम से इंसान को भाषा बैरियर को पार करके अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों के साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, यह विभिन्न क्षेत्रों में अधिक संवाद स्थापित करने में मदद करेगा और वैज्ञानिक, व्यावसायिक, और सामाजिक उद्योगों को सहयोगी बनाएगा।

तकनीकी समाधानों की सीमाओं का सामना: चैट GPT की सीमाओं और चुनौतियों को अभियांत्रिकी और वैज्ञानिक समुदायों द्वारा हल करने की आवश्यकता है। इसके विकास में वैज्ञानिक समुदायों को परस्पर सहयोग और शोध साझा करने की आवश्यकता है ताकि इसकी सुरक्षा, संवाद की गुणवत्ता और सामग्री के सत्यापन में सुधार किए जा सके।

चैट GPT का भविष्य उज्ज्वल है और यह तकनीक हमारे संवाद के ढंग को सुगम, सुविधाजनक और सहज बनाने में मदद करेगी। इसके उपयोग से कई क्षेत्रों में नए संवाद उभरेंगे। हालांकि, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी हो सकती हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हमें इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। साथ ही हमें चैट GPT के विकास को जारी रखने के लिए नई समस्याओं का सामना करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसकी उपयोगिता को मानव समूहों के हित में और सामाजिक लाभ के साथ सीमित रखते हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन की अवधारणा एवं पर्यावरण का महत्व

राजीव कुमार
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
नागपुर अंचल

"अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाकर,
भारत को स्वच्छ बनाएंगे।
सोच सकारात्मक अपनाकर,
पर्यावरण को शुद्ध बनाएंगे।।"

हम सभी जानते हैं कि बिना उचित अपशिष्ट प्रबंधन के हमारा पर्यावरण स्वच्छ एवं शुद्ध नहीं हो सकता है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे रहने से जहाँ एक ओर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता चला जा रहा है। बिना साफ-सफाई के चारों ओर गंदगी बढ़ती चली जाती है। क्या आज का पर्यावरण हमारे जीने के लिए उपयुक्त है? क्या हमारे देश में हवा-पानी इत्यादि प्राणियों, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या वास्तव में हमारे शहर, विशेष रूप से महानगर रहने लायक बचे हैं? क्या शहरों में, विशेष रूप से महानगरों में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा जल प्रदूषण की समस्या दिन-प्रतिदिन विकट नहीं होती जा रही है? क्या भारत में आने वाले कुछ ही वर्षों में पीने के पानी की समस्या और अधिक विकराल रूप धारण नहीं कर लेगी? क्या हर जगह हो रहे विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के लिए हम या हमारी सोच जिम्मेदार नहीं है? क्या पूरी दुनिया में आ रहे प्राकृतिक बदलावों, चक्रवातों, भूकम्पों, बाढ़ इत्यादि के लिए कहीं न कहीं हम स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं? क्या जीव-जन्तु एवं वनस्पति के साथ हमारे क्रूर व्यवहार ने हमें प्रकृति का दुश्मन नहीं बना दिया है? क्या हमारे देश ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में अपशिष्ट का प्रबंधन या कचरा निस्तारण एक बहुत बड़ी एवं विकट समस्या बनकर हमारे सामने नहीं खड़ी हो गयी है? क्या हमें आंख मूंद कर इस समस्या को देखते रहना चाहिए या इसका समाधान भी ढूंढ़ना चाहिए? क्या हमें अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाकर अपने सम्मुख खड़ी इस समस्या का उचित हल नहीं खोजना चाहिए? क्या हमें अपशिष्ट प्रबंधन करते हुए इसमें नए रोजगार सृजन के अवसर नहीं ढूंढ़ने चाहिए?

ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। अपशिष्ट प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे यह समस्या न होकर हमारे देश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत बन सके। कहा जाता है कि "जहां स्वच्छता होती है, वहां ईश्वर का वास होता है।" हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि "स्वच्छता ही सेवा है।" हमें सोचना होगा और तभी हम अपने घरों, दफ्तरों, कंपनियों, सड़कों, नदी-नालों, फैक्ट्रियों, कंपनियों इत्यादि से निकलने वाले अपशिष्ट (कचरे) का सही तरीके से प्रबंधन या निस्तारण कर पाएंगे।

अपशिष्ट प्रबंधन: आखिर ये अपशिष्ट प्रबंधन है क्या? वैसे तो समाज में प्राचीन काल से ही 'प्रबंधन' शब्द का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता चला आ रहा है किन्तु आर्थिक उदारीकरण के बाद से इस शब्द का व्यापक रूप में उपयोग हो रहा है। प्राचीन समय में उपयोग में आने वाले शब्द 'कौशल' का ही पर्याय 'प्रबंधन' होता है। गुरुकुल में रहने वाले छात्रों में से जो छात्र गुरु के आदेश के बाद 'कुश' नामक घास को सफलतापूर्वक लेकर आता था, उसे ही कौशल कहा जाता था अर्थात् उसे उस कार्य विशेष का उचित प्रबंधन करना आता था। आजकल प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंधन की विविध अवधारणाओं का उपयोग हो रहा है जो कि उस कार्य विशेष में कुछ विशिष्ट कार्य-प्रणालियों का उपयोग करते हुए उसमें वैज्ञानिक एवं तकनीक का अधिक उपयोग सुनिश्चित करता है।

अपशिष्ट प्रबंधन एक नया शब्द है या यूँ कहें कि यह प्रबंधन संस्थानों की देन है। इसे साधारण भाषा में कचरे का सही रूप में निस्तारण कहा जा सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन एवं कचरा निस्तारण एक दूसरे से काफी मिलते जुलते शब्द हैं किन्तु इसमें

एक मामूली फर्क यह है कि कचरे के निस्तारण में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग नहीं होता है जबकि अपशिष्ट प्रबंधन में पूरी तरह से वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन में कचरे को घरों, कार्यालयों, दुकानों, कंपनियों, सड़कों, नदियों, नालों, फैक्ट्रियों आदि से परिवहन के माध्यम से निस्तारण स्थलों तक ले जाया जाता है तथा वहां पर कचरे को अलग-अलग किया जाता है तथा उसके बाद उस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बेकार या खराब सामान इत्यादि का सही तरह से निस्तारण करते हुए उसे पुनः उपयोग हेतु संभव बनाती है। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट का संग्रहण, वर्गीकरण, विभाजन, परिवहन, प्रसंस्करण इत्यादि शामिल होते हैं।

अपशिष्टों के प्रकार : वास्तव में, उचित तरीके से अपने दैनिक कामकाज की वस्तुओं के अपशिष्टों का निस्तारण किया जाता रहे तो कचरे की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो अपशिष्ट या कचरे को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है; पहला, सूखा अपशिष्ट एवं दूसरा, गीला अपशिष्ट। इसमें भी अलग-अलग प्रकार के अपशिष्ट को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है जिससे उसका निस्तारण सरलता से किया जा सके। अपशिष्ट प्रबंधन को कुछ वर्गों में इस प्रकार बांटा जा सकता है : -

1. घरेलू अपशिष्ट - इसमें घरों या रसोई इत्यादि से निकलने वाला कचरा आता है।

2. शहरी अपशिष्ट - इसमें विशेष रूप से शहरों की गलियों, सीवरों, बाजारों इत्यादि से निकलने वाले कचरे या अपशिष्ट को रखा जाता है।

3. औद्योगिक अपशिष्ट - इसमें फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट को रखा जाता है जैसे तरल कैमिकल, कार्बन उत्सर्जन, विभिन्न प्रकार के कैमिकल (द्रव्य व गैस) इत्यादि।

4. चिकित्सा अपशिष्ट - इसमें चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग की गई सीरींजों, इंजक्शनों, दस्तानों, पीपीई किट, मास्क, प्लास्टिक एवं कांच की बोतलें इत्यादि आती हैं।

5. कृषि अपशिष्ट - इसमें कृषि संबंधी अपशिष्ट जैसे कि भूसी, पराली, सूखी घास, खरपतवार, साग-सब्जी, गन्ने, ज्वार, बाजारा, मक्का इत्यादि फसलों के अवशेष शामिल रहते हैं।

6. कार्बनिक अपशिष्ट - साग-सब्जी, सब्जी मंडी, रसोई इत्यादि का अवशेष।

7. इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट - इसमें मोबाइल सेट, हैड/ईयर फोन, कम्प्यूटर, पैन ड्राइव, टेलीफोन इत्यादि के खराब उपकरण शामिल रहते हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता : जीवन-चक्र को चलाने के लिए जिस प्रकार अनाज उगाना, उसका रखरखाव करना एवं फिर उसका उपयोग करना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीजों के अपशिष्ट का निस्तारण भी आवश्यक है। उदाहरणार्थ, हम आम या केला या संतरा खाते हैं तो क्या उनके छिलकों को हमें कचरे के डिब्बे में नहीं डालना चाहिए। इसका जवाब होगा, जी हां। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वे छिलके गंदगी फैलाएंगे और उन छिलकों पर मक्खियों-मच्छरों के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा।

अपशिष्ट जीवन के लिए खतरा : आज हमारे शहरों, नगरों, कस्बों यहां तक कि कुछ गांवों तक में अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती चली जा रही है जो कि न केवल मानव जाति अपितु संपूर्ण जीवों यथा गायों, कुत्तों, बिल्लियों, भैंसों, मछलियों, बकरियों, चिड़ियों, कबूतरों इत्यादि के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे अपशिष्टों की मात्रा को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें अपशिष्टों का उचित निस्तारण करते हुए उसका पुनः उपयोग या पुनर्नवीनीकरण करना चाहिए। झीलों, तालाबों में अपशिष्ट डालने के कारण मछलियों, कछुओं एवं अन्य सभी जलीय जीवों इत्यादि की मौतें हो रही हैं। कुछ डॉक्टरों ने मरी हुई गायों के पेट से कई-कई किलो पॉलीथिन बरामद की हैं। वे केवल इन पॉलीथिनों को इसलिए खा जाया करती थीं क्योंकि उनमें बचा हुआ खाना रहता था जो लोग पॉलीथिन सहित उनके सामने खाने के लिए फेंक दिया करते थे। गायों द्वारा ऐसे बचे हुए खाने को पॉलीथिन सहित खाने से उनकी मौत हो रही हैं। पॉलीथिन को तो पूरी तरह से बंद करना चाहिए क्योंकि बरसात के दिनों में शहरों की नालियों/नालों के बंद होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि उनमें लोग कूड़ा-कचरा डालकर नालियों इत्यादि में फेंक देते हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन - एक चुनौती : अपशिष्ट हमारे देश

ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के समक्ष एक भयंकर चुनौती बन चुकी है। हमारे देश में रोजाना 1 लाख 70 हजार टन से भी अधिक अपशिष्ट (कचरा) निकलता है तथा जिसमें से 75 प्रतिशत का उपयोग लैंडफिल के रूप में अथवा समुद्रों इत्यादि में दबाना पड़ता है। केवल 25 प्रतिशत अपशिष्ट को ही पुन: उपयोग करने लायक बनाया जाता है। हमें 'कचरे से आय कमाओ' पर जोर देना चाहिए। हमें अपशिष्ट प्रबंधन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए विभिन्न उपाय कर यह विचार करना चाहिए कि किन-किन विधियों से हम इस चुनौती को एक सुअवसर में बदल सकते हैं। सर्वप्रथम, तो हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचना होगा। यहां तक कि हम गाय, भैंस इत्यादि पालतू पशुओं के गोबर से कंडे या उपले बनाते हैं जिन्हें आज भी गांवों में खाना बनाने के काम में या उपयोग में लाया जाता है। गाय, भैंस आदि के गोबर की खाद का तो जवाब ही नहीं है। कई जगह तो गायों, भैंसों के गोबर से बनी खाद की इतनी मांग है कि आपूर्ति भी नहीं हो पाती है जबकि कुछ जगहों पर गायों/भैंसों इत्यादि पशुओं के गोबर को यूं ही नालियों इत्यादि में बहा दिया जाता है।

प्राकृतिक संतुलन: इसके साथ ही, आज हमारे देश ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में मांसाहारियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुर्गियों, बकरियों, भैंसों, मछलियों इत्यादि के अपशिष्ट पदार्थों को खुले कूड़ेदान में डाल दिया जाता है और उसमें बदबू होने लगती है जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, हमारे विभिन्न जीव जैसे कुत्ते, बिल्ली, कौवे, चील इत्यादि इन अपशिष्ट पदार्थों को कुछ मात्रा तक खा जाते हैं जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और विभिन्न बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौती प्लास्टिक, पॉलीथिन, इलेक्ट्रॉनिक कचरे या चिकित्सा अपशिष्ट या रासायनिक अपशिष्ट या औद्योगिक अपशिष्ट इत्यादि के निपटान में आती है जिनका निस्तारण लंबी प्रक्रिया के बाद ही संभव हो पाता है। हालांकि, कुछ अपशिष्टों को पूरी तरह से नष्ट किया जाना संभव नहीं होता है, अत: ऐसे कचरे को लैंडफिल के रूप में काम में लिया जाता है।

अपशिष्ट प्रबंधन-अवसर : अपशिष्ट प्रबंधन की इस चुनौती में रोजगार की भी अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। हमें केवल इन्हें सकारात्मक रूप में देखना होगा। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज यह एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें न केवल भारत अपितु विश्व के सभी देशों, शहरों, कस्बों, गांवों इत्यादि में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कुशल एवं प्रशिक्षित युवाओं की विशेष आवश्यकता है। इस क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए युवाओं को 10+2 स्तर पर कैमिस्ट्री, फिजिक्स व बायोलॉजी का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। साथ ही, यदि उन्होंने कैमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या पर्यावरण विज्ञान में बीएससी/एमएससी पास किया है तो सोने पर सुहागा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूजीसी ने स्नातक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य किया है। स्कूल व कॉलेज स्तर पर एनसीईआरटी एवं एआईसीटीई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी या चिकित्सा विज्ञान आदि विज्ञान-विषयों से स्नातक के बाद पर्यावरण अध्ययन में पीजी डिप्लोमा किया जा सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, दिल्ली में पर्यावरण विज्ञान से जुड़े विषयों में इंटरर्नशिप व सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं। दि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट अर्थात् टेरी में पर्यावरण विज्ञान से संबंधित विषयों में पीजी कोर्स तथा डॉक्टरेट कराया जाता है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद में बी.टेक, यूनिवर्सिटी ऑफ पैट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग स्टडीज, देहरादून में पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातक कराया जाता है। एक युवा जिसने इस क्षेत्र में न्यूनतम योग्यता के बाद यदि कोई अतिरिक्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स आदि किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय यथा दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू, इग्नू आदि संस्थानों से किया है तो उनके लिए इस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश का सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र हो सकता है। आज हर व्यक्ति को सेवा चाहिए और वह इसके लिए भुगतान करने को तैयार है। 'पे एंड यूज' अर्थात् 'भुगतान करो एवं उपयोग करो' का सिद्धांत यहां भी लागू होता है। इन सभी कोर्सों को करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में रोजगार पा सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन में सुपरवाइजर, प्रबंधक से लेकर पर्यावरण वैज्ञानिक, कैमिकल वैज्ञानिक इत्यादि के अनेक पद हैं और आप इस क्षेत्र में नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। यह

एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमेशा ही चलता रहेगा क्योंकि उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अपशिष्ट तो बचेगा ही। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में जैव-ईंधन निर्माण के क्षेत्र में 9,00,000 नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। अपशिष्ट प्रबंधन की विशेषता को देखते हुए यही कहेंगे कि-

"अपशिष्ट प्रबंधन को मनोयोग से अपनाएंगे,
देश से गंदगी एवं बीमारी दूर भगाएंगे।
आत्म-निर्भर होकर विकास के मार्ग पर बढ़ेगा भारत
और हम विकसित कहलाएंगे।।"

आय के प्रमुख स्त्रोत : अपशिष्ट प्रबंधन में आय के अनेक स्त्रोत मौजूद हैं। साथ ही, कृषि अपशिष्ट से आप बायोगैस तथा खाद बना सकते हैं। साथ ही, गाय, भैंस इत्यादि पशुओं के गोबर की केंचुआ खाद भी बनायी जा सकती है जिसकी मांग सबसे अधिक है। इसे वर्मीखाद कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटॉश प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहती हैं। हर्बल खेती के लिए केंचुआ खाद का अत्यधिक उपयोग होता है जिससे फसल में 10 से 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है। साथ ही, अपशिष्ट से 511 मेगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जो कि आय के स्त्रोत में ही शामिल है। अभी अपशिष्ट से 94 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है। हमें अपने देश की गौशालाओं का सदुपयोग करना चाहिए। उदाहरणार्थ-यदि किसी सब्जी मंडी में हर 4 घंटे में वहां बची खराब सब्जियों को एक ट्रक/ट्रेक्टर में भरवाकर गौशाला को भेजा जाता है और वहां जो गायें हैं वे उस सब्जी को खाती हैं तथा गायों से प्राप्त गोबर से बायोगैस या केंचुआ खाद बनायी जाती है तथा जो कुछ अपशिष्ट बचता है, उसे मुर्गियों या बत्तखों इत्यादि को खिलाया जाता है जिससे बदले में हमें मिलते हैं अंडे। यह उदाहरण पूरी तरह से वैज्ञानिक है और गीले अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रिसाइकल) करने का सबसे अच्छा तरीका है।

कुछ वर्ष पहले आईआईटी दिल्ली से पास एक इंजीनियर ने सड़कों को साफ करने के विचार से एक स्वदेशी मशीन का निर्माण किया और जिसे उन्होंने नाम दिया है - जटायु। हाल ही में उन्हें भारत सरकार की ओर से कुछ शहरों को साफ करने के लिए जटायु खरीदने का आर्डर भी मिला है। एक अनुमान के अनुसार, अपशिष्ट प्रबंधन में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'स्वच्छ भारत अभियान' को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आज अपशिष्ट प्रबंधन में हजारों लोग कार्य कर रहे हैं। जहां अपशिष्ट से खाद, बिजली इत्यादि चीजें बनाई जा रही हैं, वहीं इसमें अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं।

पर्यावरण: 'पर्यावरण' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है 'परि' एवं 'आवरण'। 'परि' का अर्थ होता है हमारे चारों ओर तथा 'आवरण' का मतलब है स्थिति। अत: हमारे आस-पास स्थिति कैसी है, यही पर्यावरण है। हमारे आस-पास की हवा, पानी, पेड़, पौधे, नदी, नाले, पहाड़ इत्यादि सभी शुद्ध हैं। कूड़ा कचरा इत्यादि इधर-उधर नहीं बिखरा पड़ा हुआ है तो हम कहते हैं कि यहां का पर्यावरण स्वच्छ है। हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हमारे घर के साथ-साथ हमारी कॉलोनी या मुहल्ला भी साफ-सुथरा हो। हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़-पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती रहे। हमें पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। वृक्ष हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो जीवन संभव नहीं है। हमें इसे बचाने के साथ ही जीव-जन्तुओं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों इत्यादि की भी रक्षा करनी होगी। हमारे वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए हमें अपनी नदियों-नालों में कूड़ा, पॉलीथिन आदि नहीं डालने चाहिए।

प्रत्येक प्राणी को शुद्ध जल, वायु आदि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। किन्तु हमें अपने संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी पूर्ण रूप से पालन करना होगा, तभी वे अधिकार हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होगा ताकि वातावरण को शुद्ध बनाया जा सके। मैं तो पर्यावरण के संबंध में यही कहूंगा कि -

"नये-नये वृक्षों को लगाकर ही, वातावरण को स्वच्छ बनाएंगे।
गंदगी-कचरा कम करके ही, हम पर्यावरण को शुद्ध बनाएंगे।।"

इसके लिए हमें अपशिष्ट प्रबंधन के '3 आर' के फार्मूले को अपनाना चाहिए जो कि इस प्रकार है - 1. अपशिष्ट कम करना, 2. अपशिष्ट का पुन: उपयोग तथा 3. पुनर्नवीनीकरण या पुनर्चक्रण ।

निष्कर्ष : हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव और 4041 शहर

हैं। इतने बड़े देश जहां की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से अधिक हो, वहां अपशिष्टों की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। ऐसे में इसका उचित प्रबंधन करके हम अपने राष्ट्र की उन्नति में सक्रिय योगदान कर सकते हैं। आज के आधुनिक युग में नागरिक जूट या कपड़े के थैलों के स्थान पर पॉलीथिनों का उपयोग करना ज्यादा अच्छा एवं शोभनीय समझता है जबकि ये पॉलीथिन एक बार उपयोग में होने के बाद नालियों या नालों में पानी रोकने का ही काम करती हैं जिससे बरसात के दिनों में शहरों में सीवर एवं नालियों में पानी रूक जाता है और गंदा पानी सड़कों, घरों, दफ्तरों, कम्पनियों, फैक्ट्रियों इत्यादि में भर जाता है जिससे एक तरफ बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है तो दूसरी ओर जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है। अत: केवल मानसिकता बदलने की आवश्यकता है क्योंकि कहा भी गया है कि :

''मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत।
मन ही मन का शत्रु है और मन ही मन का मीत।।''

अपशिष्ट का उचित निस्तारण करके ही पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सकता है जो कि हमारे वातावरण एवं प्रकृति की शुद्धता के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमारी सरकार भी पिछले कुछ समय से जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पर काफी जोर दे रही है। अत: आज पूरा विश्व विभिन्न प्रकार की वैश्विक आपदाओं से जूझ रहा है। बाढ़, भूकम्प, भू-स्खलन, आग, चक्रवात आदि दुनिया में दहशत फैला रहे हैं। जब-जब भी मनुष्य ने प्रकृति से अत्यधिक मात्रा में छेड़छाड़ की है, उसका परिणाम एक देश को ही नहीं, अपितु पूरे विश्व को भुगतना पड़ा है। अत: पर्यावरण को शुद्ध रखते हुए एवं उचित अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाते हुए प्रकृति का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अंत में मैं यही कहूंगा -

"देश में अपशिष्ट प्रबंधन है बहुत जरूरी,
नहीं है अब कोई मजबूरी ।
स्वच्छ रहेगा पर्यावरण अपना,
जब मन में इच्छा-शक्ति हो पूरी ।।''

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में

"तुम क्या करते हो ?"
"यही थोड़ा बहुत लिखता हूँ।"
"लिखते हो, क्या लिखते हो ?"
"यही कागज पत्रिकाओं आदि में।"
"आमदनी होती है ?"
"थोड़ी बहुत। लेकिन आपके जैसी नहीं"
"अरे। मैं भला क्या लिखता हूँ?"
"क्यों, प्रेस्क्रिप्शन!"

यह कथोपकथन डॉ. बिधान चन्द्र रॉय और बंगाल के मशहूर लेखक श्री शिवराम चक्रवर्ती के बीच का है। डॉ. बिधान चन्द्र रॉय, चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 14 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे तथा उन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता माना जाता है। विश्व के डाक्टरों में रॉय का प्रमुख स्थान था। वे इतने उच्च कोटि के चिकित्सक थे कि वे रोगी का चेहरा देखकर ही रोग का निदान और उपचार बता देते थे। चिकित्सक के रूप में उन्होंने पर्याप्त यश एवं धन अर्जित किया और लोकहित के कार्यों में उदारतापूर्वक मुक्त हस्त दान भी किया। बंगाल के अकाल के समय उनके द्वारा की गई जनता की सेवाएं अविस्मरणीय हैं। उनकी जन्म-तिथि तथा पुण्य-तिथि दोनों 1 जुलाई है। उनकी याद में 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ग़म-ए-जुदाई

आर. आर. दुबे
कैशियर
जीजीएसई इंजीनियरिंग कॉलेज रोड़ शाखा
बोकारो अंचल

बात उस वक्त की है जब मैं 30 दिनों की छुट्टी बिता कर अपने यूनिट हेडक्वार्टर, 7 सेक्टर आर. आर. कश्मीर पहुँचा। मेरे वहाँ पहुँचने के दूसरे दिन ही मेरी धर्मपत्नी का खत मुझे प्राप्त हुआ। खत उसी रात का लिखा हुआ था जिस सुबह मैं घर छोड़ कर अपनी यूनिट के लिए रवाना हुआ था। इसलिए उस खत में कोई खास समाचार तो नहीं था मगर मेरी श्रीमती जी की एक बात बार-बार मेरे दिलो-दिमाग में चुभ रही थी। वह यह कि "आप जब भी छुट्टी बिता कर जाते हैं तो ऐसे मुस्कुराकर जाते हैं जैसे नर्क को छोड़कर स्वर्ग में जा रहे हों।" मैं खत पढ़ने के बाद काफी देर बैठा सोचता रहा। तरह-तरह के उलटे-पुलटे खयाल मन में आ रहे थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा। शायद वह कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि धरती का स्वर्ग 'कश्मीर' की हरी-भरी वादियों के बीच प्यारी-प्यारी अप्सराओं की भीड़ में मैं खो गया हूँ। इतने विचार मेरे मन में एक साथ दौड़ रहे थे कि 5-6 घंटे कॉपी और कलम लेकर बैठा रहा, मगर खत का जवाब नहीं लिख पाया। समझ नहीं पा रहा था कि "कैसे बताऊँ वो जुदाई की घड़ी, जब फौजी घर छोड़ता है"। घर के दरवाजे पर सारा परिवार इकट्ठा रहता है और उसके एक हाथ में सूटकेस एवं दूसरे हाथ में बेडिंग होता है। छोटा भाई कहता है-भैया पहुँचते ही फोन करना, माँ की ममता भरी डबडबाती आँखों से नजर मिलाना तो पहाड़ जैसा लगता है, सिर्फ उसकी आवाज ही कानों तक जाती है- बेटा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, पहुँचते ही खत भेजना, रोज एक खत लिखना, भूलना नहीं। पिता बेचारा जिसे जवान बेटे के सहारे की जरूरत होती है वो अपने कलेजे पर पत्थर रख कर हर बार अपने से दूर विदा करता है और कहता है-बेटा यहाँ की चिन्ता मत करना। इन सबकी बातों को तो एक फौजी सुनता जरूर है, मगर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि उनका जवाब भी दे सके। आँसुओं को रोके-रोके गला भी रोने के लिए दुखने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि यदि मुँह से कुछ भी आवाज निकली तो आँखें नम होते देर नहीं लगेगी और गंगा-यमुना को बहने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यदि रो पड़ा तो घर के सारे लोग रो पड़ेंगे और फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह (फौजी) सबके जवाब में सिर्फ अपना हाथ हिलाता है और सिर हिलाकर इशारे से समझाता है कि सब करूँगा।

उधर बेचारी बुलबुल एक कमरे में ऐसी उदास बैठी होती है जैसे उसका सब कुछ खो गया हो। उसकी उदासी तो वही जाने, बिरहन का दुख कोई क्या समझ सकता है, वह तो एक बिरहन ही जान सकती है। उसकी उदासी देख माँ भी रो पड़ती है जो कि मेरी अनुपस्थिति में एक बगीचे के माली की तरह उसकी देख-भाल करती है। उस दुखों से भरे बहार का वो मौसम कुछ पल के लिए इतना दर्दनाक हो जाता है कि अपने ही घर में अपनों के सामने एक पल के लिए रुकना मुश्किल हो जाता है। और हँसते-मुस्कुराते, अपने गमों को छुपाते हुए आगे बढ़ता जाता फौजी इतना ज्यादा कठोर हो जाता है कि अपने ही घर की तरफ पलट कर भी नहीं देख पाता कि लोग आपस में कैसे जुदा हो रहे हैं।

फिर मुझे मेरी धर्म पत्नी के खत का जवाब मिल गया और मैंने कुछ ऐसे समझाने की कोशिश की :

मौसम बहार का था, एक फूल मुस्कुरा रहा था,
एक बुलबुल रो रही थी, जिसका साथी जा रहा था।

बुलबुल को देखकर माली (माँ) भी रो दिया,
बुलबुल के दामन में पतझड़ जो आ रहा था।

उस गुल पे क्या गुजरी जो आँसू दबा रहा था,
रोना चाहकर भी हँस-हँस कर रस्म निभा रहा था।
गला गमों से घुट रहा था, मानो जैसे सर कट रहा था,
बोलना था मुँह से, मगर हाथों से इशारे कर रहा था।
ये कैसा सफर है, ये कैसा बिछड़ना,
मैं न चाहते हुए भी, कहीं चला जा रहा था।
दुख तो था दिल को, और आँखें भी धोखा दे रही थीं,
रोना था उन पर, मगर खुद पर रो रहा था।
मिल जाए अगर खुदा तो उससे ये पूछना है,
शायद उसका जवाब होगा कि मैं तो तेरी किस्मत आजमा रहा था।

आज मैं अपनी सेना के सेवाकाल को समाप्त कर अपने बैंक ऑफ इंडिया में सेवारत हूँ और यहाँ अपने साथियों को जुदाई के गम झेलते हुए देखता हूँ तो अपने वो पल याद आ जाते हैं। पर उस गम को झेल कर आगे तो बढ़ना ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हँस कर पार कर लेता है और कोई दिल का कमजोर अपने जीवन को दाँव पर लगा लेता है। आर्मी जीवन की कठिनाइयों की तुलना प्रसव काल की पीड़ा से ही की जा सकती है। बाकी अन्य कठिनाइयाँ तो इंजेक्शन के दर्द से अधिक नहीं होती हैं। समस्याएँ तो आती-जाती ही रहेंगी। हमें तो अपना हर पल हँस कर ही बिताना है।

कुछ नया लिखूँ या रहने दूँ

कुछ नया लिखूँ या रहने दूँ,
एक राग रचूँ या रहने दूँ ।
कई स्वांग रचा है जीवन में
सब सिहर उठा है इस मन में
जितना सोचा है, कुछ सीख तो लूँ
जितना देखा है, कुछ पा तो लूँ ।
कुछ नया लिखूँ या रहने दूँ,
एक राग रचूँ या रहने दूँ ।
अपने ही कदमचालों को
हर-रोज़ मुड़कर निहारता हूँ,
रंगमच के बहरुपिये सा,
मैं कई किरदार निभाता हूँ
कई बार अडिग रथ पर बैठा भी
दिशा-शून्य हो जाता हूँ ।
उस अविरल धारा को देख रहा,
मैं बांध बनूँ या बहने दूँ ।

कुछ नया लिखूँ या रहने दूँ,
एक राग रचूँ या रहने दूँ ।
फिर लम्बी दौड़ की सोच मैं,
मन में चेतनसजग हो जाता हूँ,
कुछ ही दिनों की बारिश माने
मैं भीगता दौड़ता जाता हूँ।
इस सोच की खाई गहरी है,
उस शहर का क़िला बड़ा ऊंचा है,
आँखें मीचता नई सुबह पर
फिर वही कहानी कहता हूँ ।
कुछ नया लिखूँ या रहने दूँ,
एक राग रचूँ या रहने दूँ ।

देव जायसवाल
राजभाषा अधिकारी
केंदुझर अंचल

सोलन : एक परिचय

नेहा चौहान
पंचकूल मुख्य शाखा
चंडीगढ़ अंचल

देवभूमि हिमाचल में पहाड़ों के आंचल से घिरा एक खूबसूरत छोटा सा जिला है - सोलन। सोलन का मौसम न तो शिमला की तरह ज़्यादा ठंडा है और न ही कालका की तरह गर्म; अत: रहने के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठंड के दौरान यहां थोड़ा हिमपात भी होता है। जनसंख्या के आधार पर यह शिमला के बाद दूसरा बड़ा जिला है।

सितम्बर 1972 में जिलों के पुनर्गठन के बाद शिमला व महासू से सोलन जिले का निर्माण हुआ। माँ शूलिनी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। शूलिनी माता का मंदिर सोलन शहर के मध्य स्थित है। प्रत्येक वर्ष जून माह में सोलन का मेला लगता है जिसे "शूलिनी मेला" कहते हैं। यह मेला 3 दिन का होता है जिसके प्रथम दिन माँ शूलिनी को अपनी बहन माँ शीतला से मिलवाने लाया जाता है तथा जूलूस निकलता है। अंतिम दिन माँ अपने घर वापस आती है।

सोलन कुनिहार, बाघल, महलोग, बघाट व हंडूर रियासतों से मिलकर बना है। सोलन जिले में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं जैसे कि बघाटी, क्यूंथली आदि। क्षेत्रीय भाषा पहाड़ी है। बघाट रियासत में बोले जाने के कारण बघाटी बोली का नामकरण हुआ। बघाट रियासत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सी जगहों से मिलकर बना है जिनका अंतिम नाम "घाट" के साथ खत्म होता है यथा- चम्बाघाट, कण्डाघाट, कालाघाट इत्यादि। सन 1815 में ब्रिटिशों ने "बघाट" (अब सोलन) को गोरखों के चंगुल से छुड़ाया था।

प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पांडव अपने अज्ञातवास के समय सोलन में रहे थे तथा "करोल पर्वत" में एक गुफा के माध्यम से पिंजौर पहुंचे। हालांकि इस गुफा का रास्ता अब पत्थरों के गिरने के कारण बंद हो गया है तथापि सर्वेक्षणों से यह तथ्य साबित हो चुका है कि यह रास्ता पिंजौर तक पहुंचता है।

सोलन को खुम्ब नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सोलन शहर से 2 किलोमीटर दूर चम्बाघाट में राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान है। बड़े पैमाने पर टमाटर उत्पादन के कारण इसे "लाल सोने का शहर" भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर बद्दी भी सोलन जिले में है। ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार सलमान रुश्दी का पैतृक घर भी सोलन शहर में स्थित है।

कालका शिमला रेल लाइन जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुकी है, उसकी कुल 103 सुरंगों में से सबसे लम्बी सुरंग नं 33 जो 1143.61 मीटर लम्बी है तथा विश्व की सबसे सीधी सुरंग है, सोलन के बड़ोग में स्थित है। इस क्षेत्र का नाम एक अंग्रेज अभियंता (इंजीनियर) बड़ोग के नाम पर रखा गया था जिसे इस सुरंग को बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। बडोग की काफी कोशिशों के बावजूद सुरंग के दोनों छोर नहीं मिल रहे थे तथा अंग्रेज सरकार ने उन्हें 1 रुपये का दण्ड दिया था जिस कारण शर्मिंदगी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बाद में इसका निर्माण एक स्थानीय साधू बाबा भलखू की सहायता से एच एस हैरिंगटन के पर्यवेक्षण में किया गया। बाबा भलखू ने यह कार्य बिना किसी आधुनिक उपकरण के अपनी लाठी की सहायता से किया। इसका शुभारम्भ सन 1902 में किया गया।

चायल- चायल सोलन जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है। इससे संबंधित एक प्रसिद्ध कहानी है - अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। शिमला पर राजा भुपिंदर सिंह का राज था। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में महाराजा भुपिंदर सिंह को शिमला से निर्वासित कर दिया था तो महाराजा ने शिमला से ऊंची जगह पर अपना महल बनाने का निश्चय किया। अत: उन्होंने

चायल में अपना महल बनाया जिसकी ऊँचाई 2250 मीटर है तथा शिमला से ऊँचाई पर स्थित है। यहां विश्व का सबसे ऊँचाई पर स्थित क्रिकेट ग्राउंड भी स्थित है जो समुद्र तल से 2444 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

कसौली- सोलन जिले में स्थित एक सुंदर नगर है। यहां टीके बनाने के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है। यहां पर प्रसिद्ध लॉरेंस स्कूल, सनावर भी स्थित है तथा भारतीय वायु सेना का केंद्र भी है। मंकी पॉइंट यहां आने वाले पर्यटकों के घूमने के लिए सबसे अच्छा स्थान है।

संस्कृति: सोलन की संस्कृति मिश्रित है। सलवार-सूट यहां की महिलाओं का मुख्य पहनावा है। पुरुषों में सामान्यत: कुर्ता-पजामा तथा पेंट कमीज़ है। घागरा सूट महिलाओं का पारंपरिक पहनावा है। पारंपरिक गहनों में चाक (सिर पर लगाया जाने वाला), गजरू (एक प्रकार का कड़ा) प्रमुख है।

नाटी तथा पहाड़ी गिद्दा यहां का पारंपरिक नृत्य है। ऐतिहासिक नृत्य ठोडा नृत्य है जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष शूलिनी मेले में किया जाता है।

खान-पान की बात करें तो यहां के कुछ पकवानों में से खास पकवान जैसे कि सत्तू, पूड़े, लुश्के, सीडू, पचोले, पटींडे, असकली आदि प्रसिद्ध हैं। यहां आम धारणा है कि व्यक्ति को घर से बिना कुछ खाए नहीं निकलना चाहिए। कुछ समय पहले तक यहां लोगों की प्राथमिकता मक्के की रोटी होती थी, लेकिन अब मक्के का उत्पादन कम होने के कारण गेहूं तथा चावल ही मुख्यत: खाए जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 22 सोलन पहुंचने का प्रमुख मार्ग है। यहां पहुंचने के लिए ट्रेन से भी आया जा सकता है। चंडीगढ़ से सोलन की दूरी लगभग 70 किमी है तथा शिमला यहां से लगभग 45 किमी है।

सोलन जिला पर्यटन तथा व्यवसाय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से भी। यह भारत में एक उभरते हुए पौधे की तरह है जिसे थोड़े-बहुत खाद तथा पानी से एक फलते-फूलते पेड़ में परिवर्तित कर देने भर की आवश्यकता है। इसके बाद यह अपनी छांव में आने वाले राही को फलों के साथ संतुष्टि भी देगा।

सागर की पीड़ा

देखा है सागर के दिल की,
उठती-गिरती लहरों को।
यौवन का ये हलचल है या
उथल -पुथल किसी पीड़ा की।

डर लगता था हलचल से,
जब देखा इसको पहली बार।
पर मन में इच्छा थी मेरे,
कि जानूँ उसके दिल का हाल।

जाकर उसके पास मैं आई,
जाकर उसको गले लगाई।
खोलो अपने मन की परतें,
आने दो दिल की सब बातें।

आते हैं सब अटखेली को,
उछल-उछल कर मौज मनाते।
तेरी पीड़ा न जाने वो,
मनोरंजन का विषय बनाते।

फफक पड़ा तब सागर ऐसे,
उसकी दुखती रग पर,
मैंने हाथ रखा हो जैसे।
बोल पड़ा फिर —

अथाह जल है पास मेरे,
फिर भी धरती प्यासी है।
बस यही तो मेरी पीड़ा है
और यही उदासी है मेरी।

जयंति आर्या
अधिकारी
रिटेल बिजनेस सेंटर
कोलकाता

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) एवं द्विभाषिकता संबंधी अन्य प्रावधानः एक अध्ययन

डॉ. पीयूष राज
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
प्रधान कार्यालय

ज्ञात ही है कि संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी, संघ की राजभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक की अवधि में अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत जारी रखा जाएगा। अनुच्छेद 343(3) के अनुसार 15 वर्षों के बाद भी संसद, विधि द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। तदनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया जिसकी धारा 3(1) के अनुसार संविधान के लागू होने के 15 वर्षों के बाद भी संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 343(1) तथा अनुच्छेद 343(3) एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(1) को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि संघ की राजभाषा नीति का आधार स्तंभ "द्विभाषिकता" है।

धारा 3(3) के दस्तावेज

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) में निम्नलिखित 14 प्रकार के दस्तावेज हैं जिन्हें द्विभाषी रूप में जारी करना है। ये दस्तावेज हैं -

(1) संकल्प (2) सामान्य आदेश (3) नियम (4) अधिसूचनाएं (5) प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट (6) प्रेस विज्ञप्तियाँ (7) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (8) संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी कागजपत्र (9) संविदाएँ (10) करार (11) अनुज्ञप्तियाँ (लाइसेंस) (12) अनुज्ञापत्र (परमिट) (13) नोटिस और (14) टेंडर फॉर्म।

धारा 3(3) के दस्तावेजों की व्याख्या

भारतीय रिज़र्व बैंक ने "बैंकों में हिन्दी का प्रयोग" विषयक अपने मास्टर परिपत्र, दिनांक 01 जुलाई 2013 के अनुलग्नक-1 में बैंकों के संदर्भ में, बैंकों के निदेशक मंडल की बैठकों में लिए गये सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को "संकल्प" के अंतर्गत माना है। साथ ही भारत सरकार, आरबीआई, आई.बी.ए इत्यादि को विचारार्थ भेजे गये निर्णयों को भी "संकल्प" माना गया है।

राजभाषा विभाग, भारत सरकार के ज्ञापन संख्या 1/4034/3/88 राभा (क-1) दिनांक 30.05.1988 तथा संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली (पृ.33) के अनुसार "सामान्य आदेश" में निम्नलिखित शामिल हैं-

(I) ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हैं और स्थायी प्रकार के हैं।

(II) ऐसे सभी आदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हैं।

(III) ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हैं या सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं।

धारा 3(3) में प्रयुक्त नियम, अधिसूचना, रिपोर्ट आदि शब्द स्वतः स्पष्ट हैं।

संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली (पृ. 6 भाग-2) 1.1.(5) में, इस धारा के अंतर्गत उन प्रशासनिक/अन्य रिपोर्टों को भी शामिल किया गया है जो उच्चतर कार्यालयों (जैसे शाखा से आंचलिक कार्यालय या आंचलिक कार्यालय से प्रधान कार्यालय) को भेजी जाती हैं।

धारा 3(3) के अनुपालन का दायित्व

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 के अनुपालन में राजभाषा नियम, 1976 बनाये गए जिसके नियम 6 के अनुसार धारा 3(3) को अंतर्गत निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों को हिन्दी और

अंग्रेजी में तैयार, निष्पादित तथा जारी करने की जिम्मेदारी उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की है।

धारा 3(3) के अनुपालन में बरती जाने वाली अन्य सावधानियां

राजभाषा विभाग, भारत सरकार के पत्रों के अनुसार धारा 3(3) के दस्तावेज हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक साथ जारी किये जाने हैं। साथ ही, यह ध्यान रखा जाना है कि "क" क्षेत्र में भी इन दस्तावेजों को केवल हिन्दी में जारी नहीं किया जा सकता है। अत: संकल्प, साधारण आदेश आदि पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इन्हें द्विभाषी रूप में तैयार तथा जारी कराएं।

द्विभाषिकता संबंधी अन्य प्रावधान

राजभाषा संबंधी प्रावधानों में राजभाषा नियम, 1976 का नियम 11 वह दूसरा स्थल है जहाँ ऐसी मदों को प्रतिपादित किया गया है जिन्हें द्विभाषी रूप में तैयार किया जाना है। ये मदें हैं - (1) मैनुअल, (2) संहिताएं (कोड), (3) प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, (4) रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक, (5) नामपट्ट, (6) सूचना पट्ट, (7) पत्र शीर्ष, (8) लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा (9) लेखन सामग्री की अन्य मदें। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अनुपालन का दायित्व प्रशासनिक प्रधान का है तथा इस हेतु उपयुक्त एवं प्रभावकारी जाँच बिन्दु बनाया जाना है।

राजभाषा विभाग के ज्ञापन संख्या 12019/10/91-02 दिनांक 28 जनवरी 1992 के आलोक में संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली (पृ.10 भाग 2 मद 6) में रजिस्टरों में, न केवल शीर्षक एवं प्रारूप अपितु हिन्दी में प्रविष्टि के विषय में भी प्रश्न किये गये हैं। साथ ही, संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली में नामपट्ट एवं पत्र शीर्ष के अतिरिक्त (1) रबड़ की मोहरों, (2) साइन बोर्ड, (3) सीलें, (4) वाहनों पर कार्यालय का विवरण, (5) विजिटिंग कार्ड, (6) बैज/बिल्ले, (7) लोगो, (8) मनोग्राम तथा (9) चार्ट/नक्शों की द्विभाषिकता के संबंध में जानकारी माँगी जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राजभाषा विभाग ने समय-समय पर निम्नलिखित की द्विभाषी या हिन्दी में उपलब्धता पर बल दिया है - (1) प्रशिक्षण सामग्री, (2) वेबसाइट, (3) पुस्तकें, (4) पत्रिकाएँ, (5) फॉर्म, (6) सेवा रिकॉर्डों में प्रविष्टि, (7) परीक्षा के प्रश्नपत्र, (8) साक्षात्कार, (9) बैठकों की कार्यसूची, (10) बैठकों के कार्यवृत्त, (11) कार्यालयी डायरेक्टरी (12) मानक मसौदे आदि।

भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकों में हिन्दी के प्रयोग पर मास्टर परिपत्र (1 जुलाई, 2013) के अनुसार बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट को द्विभाषी तैयार किया जाना है।

इसके अतिरिक्त भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए) द्वारा प्रकाशित राजभाषा नीति आदेश निर्णय (1996) नामक पुस्तक (पृ.20) के अनुसार (1) समारोहों के लिए निमंत्रण पत्र, (2) विज्ञापन, (3) फाइल कवरों पर विषय तथा (4) सम्मेलनों के कार्यवृत्त एवं कार्यसूची द्विभाषी रूप में होने हैं।

उपसंहार

भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश में राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु द्विभाषिकता की नीति का पालन, एक अत्यंत व्यावहारिक मार्ग है। द्विभाषिकता के माध्यम से योजनाओं आदि का अधिक प्रचार-प्रसार होता है तथा शासन में पारदर्शिता आती है एवं कारोबार में वृद्धि होती है। कई बार यह अनुभव किया गया है कि हिन्दी में अनुवाद हो जाने के बाद अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना सरल हो जाता है, अत: हिन्दी के माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं को भी स्वर मिलता है। इसके अतिरिक्त हिन्दी आदि भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध कराने पर पाठक को अर्थ ग्रहण करने का एक अतिरिक्त विकल्प मिलता है जो कई बार बहुत अधिक लाभदायक होता है। इन्हीं लाभों को देखते हुए सरकार ने द्विभाषिकता पर बल दिया है जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए।

मातृभाषा का महत्त्व

अर्पिता व्यास
लिपिक
जोधपुर अंचल

हमारा देश बहुभाषिकता वाला देश है। भाषा और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे लिए विचार का विषय यह है कि हम अपने व्यक्तित्व के विकास में विदेशी भाषा को कितना महत्व दें और मातृभाषा को कितना। मनुष्य के मानसिक विकास और भाषा का अटूट रिश्ता है। एक बालक के मस्तिष्क का ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है उसके साथ ही उसकी भाषा का भी विकास होता जाता है। वह भाषा उस बच्चे के रोने -हंसने, सपना लेने, कल्पना करने, तर्क-वितर्क करने का ऐसा माध्यम बन जाती है कि वह उस भाषा से परे होकर एक भावनाशील एवं चिंतनशील व्यक्ति के रूप में जी ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि न केवल मानव विकास, बल्कि मानवीय व्यक्तित्व की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति में भाषा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए दुनिया भर के शिक्षाशास्त्रियों, भाषाशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की अपनी भाषा को अन्य सब भाषाओं में सबसे ऊपर माना है। वह भाषा कोई भी हो सकती है लेकिन यदि वह बचपन से अपनी मातृभाषा के साथ आगे बढ़ता है तो उसके मस्तिष्क का विकास अधिक होने की पूरी संभावना रहती है।

लेकिन इसका आशय यह नहीं लिया जाना चाहिए कि अपनी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं का, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं का, उस व्यक्ति के विकास में कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति की अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाएँ सोचने, महसूस करने और अभिव्यक्त करने का नया नजरिया उसके लिए प्रस्तुत करती हैं। विदेशी भाषा के जरिये हम विदेशी संस्कृतियों से परिचित होते हैं। किन्तु विदेशी भाषा को यदि रोज़मर्रा की चीजों को सोचने-विचारने, कल्पना करने और अभिव्यक्ति देने के लिए लाद देंगे तो हम मानव मस्तिष्क की सहज प्रक्रिया में ही रुकावट डालेंगे। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे डीजल से चलने वाली गाड़ी में पेट्रोल या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में डीजल डालकर चलाने का प्रयास करें। भारत जैसे देश में आज भी मातृभाषा से अलग अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को बेहतर मानकर उन्हें अपने ऊपर लादने की आकांक्षा रहती है जो उन समाजों के सहज विकास के लिए हानिकारक है। इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों के लिए यह आवश्यक है कि विदेशी भाषा सीखनी तो चाहिए किन्तु अपनी भाषा को तुच्छ मानकर नहीं, बल्कि उसे सर्वोपरि मानकर। इसलिए अंग्रेजी की तुलना में वे सभी भारतीय भाषाएँ सर्वोपरि हैं जो भारतीय बच्चों की अपनी मातृभाषाएं हैं।

जब हम यह देखते हैं कि प्राय: सभी देशों ने अपनी भाषा में ही प्रगति का मार्ग चुना है। उदाहरण के लिए जितने भी सफल देश हैं, उन्होंने अपनी भाषा को शिक्षा-दीक्षा तथा राजकाज की भाषा बनाया। जैसे रूस ने रशियन, चीन ने चीनी और जापान ने जापानी भाषा को अपनाया, यहाँ तक कि हमारे छोटे से पड़ोसी देश नेपाल ने भी अपनी भाषा नेपाली ही अपनाई है। भारत एक ऐसा देश है, जहाँ न तो अपनी भाषा में शिक्षा होती है और न ही पूर्णत: राजकाज का कार्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है लेकिन अभी भी वही स्थिति है।

हम जब बात कर रहे हैं तो हमें यह भी जानना चाहिए कि एक देश ऐसा भी है जिसकी भाषा मृतप्राय अर्थात लुप्त हो गई थी, लेकिन वह भाषा पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रही है। वह कोई और देश नहीं, बल्कि इजराइल है। इजराइल ने अपनी हिब्रू भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया और आज वह भाषा पूरी दुनिया में तकनीक की प्रमुख भाषाओं में शामिल है। इसी प्रकार विज्ञान का अधिक ज्ञान रूसी भाषा में और दर्शन का ज्ञान जर्मन भाषा में है। इसी प्रकार पुरातत्व, साहित्य का अधिक अच्छा ज्ञान फ्रांसीसी भाषा में है। हमें भारत को ज्ञानवान राष्ट्र बनाना है तो अपनी भाषाओं में सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध कराना होगा।

एक शोध में सामने आया है कि हमारे देश की जनगणना के आँकड़ों को यदि देखें तो विगत 30-40 वर्षों में प्राय: बड़ी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या क्रमश: कम हुई है, जबकि देश और उस क्षेत्र की आबादी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही, यह भी सामने आया कि भारतीय भाषाओं की हिफाजत न हो पाने से विगत पांच दशकों में देश ने 220 भाषाओं को खो दिया है। इन सब बातों से पता चलता है कि क्षेत्रीय भाषाओं का सरंक्षण किया जाना कितना आवश्यक है।

इस अहम मुद्दे पर देर से ही सही, भारत सरकार ने ध्यान दिया है और वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई। इस नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने की अनुशंसा की गई। यह भारत सरकार द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों से एक है जिससे अवश्य ही देश की उन्नति को और गति मिलेगी। हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति भारतीयता को आगे रखकर बनाई गई है, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया गया है।

इस नीति में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इस नीति के अनुसार मातृभाषा या प्रथम भाषा में न्यूनतम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। बच्चों में समझ विकसित करने एवं आगे की शिक्षा के लिए क्षमता का निर्माण करने की बात बेहद सराहनीय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं के अनुसार विद्यालयीन शिक्षा के स्तर पर कम से कम कक्षा 5 तक, तथा जहां संभव है, वहां कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर पर पाठ्यक्रम द्विभाषा में उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है । यह काफी महत्वपूर्ण है।

हमें नई शिक्षा को अपनाने में बहुत सी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि देश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दयनीय है। उसी प्रकार विद्यालयों में छात्र-शिक्षक का अनुपात, ढाँचागत सुविधाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल के सामान आदि की स्थिति भी बहुत दयनीय है। साथ ही, सरकारी विद्यालयों में जहां भी प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम है, वहां परिवर्तन करके मातृभाषा का माध्यम लागू करना इतना आसान नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड जैसे राज्यों में किसी प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा में शिक्षण निसंदेह बड़ी चुनौती होगी। आगे एक स्थिति ऐसी भी आएगी, जिसमें मातृभाषा के चिह्नांकन के प्रश्नों से प्रशासन को गुजरना पड़ेगा, साथ ही एक बहुभाषिक कक्षा का प्रबंधन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसके अलावा हमने कई बार देखा है कि जनजातीय, पहाड़ी क्षेत्र के छात्र उस राज्य की राजभाषा भी ठीक प्रकार से नहीं जानते, ऐसे में उनको वहां की स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए, तभी वह सही ढंग से सीख पायेंगे। इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति के समय लिए जाने वाले साक्षात्कार में स्थानीय भाषा का ध्यान रखा जाना चाहिए एवं स्थानीय शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करने से बहुत से फायदें भी होगें जिसमे मुख्य रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा बच्चों के साथ तालमेल एवं उनको होने वाली कठिनाइयों को सही तरह से दूर किया जा सकेगा। यदि इस प्रकार की व्यवस्था होगी, तभी जाकर इस नीति का कार्यान्वयन हो पायेगा।

नई शिक्षा नीति के परिणामस्वरूप ही हम देख रहे हैं कि तकनीक एवं मेडिकल की शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से दी जा रही थी, उसे अब हिन्दी माध्यम और आने वाले समय में क्षेत्रीय भाषाओं में मिलने की संभावना रहेगी। ये बड़े गर्व का विषय भी है कि कई राज्यों ने शुरुआत कर दी है जिसमें मध्यप्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने तकनीक एवं मेडिकल की पढ़ाई-की शुरुआत हिंदी में कर दी है। इसमें अवश्य ही शुरू में दिक्कत आएगी लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अवश्य सकारात्मक होंगे।

जब पूरे भारत में पूर्णत: नई शिक्षा नीति को अपनाया जाएगा, तब हमारी सभी मातृभाषाओं का वर्चस्व होगा। और तब भाषा के नाम पर किसी व्यक्ति के ज्ञान का आंकलन नहीं किया जाएगा। आज कई छात्र भाषा को लेकर हीनभावना से ग्रस्त हो रहे हैं, इस नई शिक्षा नीति से इस स्थिति में सुधार होगा। इस प्रकार की बहुत सी व्यावहारिक समस्याओं का निदान होगा। नई शिक्षा नीति से हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को बल मिलेगा और हमें आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मातृभाषाओं का संवर्धन होगा।

हौसला

वर्षा रानी चौधरी
अधिकारी
विजयनगर शाखा,
इंदौर अंचल

यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गाँव की, जहां रोशनी नाम की लड़की अपनी माँ और छोटे भाई रजत के साथ रहती थी। उसकी माँ शीला सिलाई का काम करती थी और पिता जब रोशनी 5 साल की थी, काल-कवलित हो चुके थे। रोशनी का दाख़िला उसकी माँ ने गाँव के एक सरकारी विद्यालय में करवाया था। पढ़ाई के साथ-साथ रोशनी माँ के साथ सिलाई और घर के कामकाज में हाथ बँटाती थी। प्रारम्भ से ही रोशनी पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह माँ को कहती थी कि "माँ, मैं एक दिन बड़ी अफ़सर बनूँगी और तुम मुझ पर गर्व करोगी।" बारहवीं की परीक्षा में रोशनी ने नब्बे प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। अब माँ को लगने लगा था कि उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। पास में रहने वाली उनकी पड़ोसन सुशीला, शीला की अच्छी सहेली थी। उसने शीला से कहा - "तुम्हारी सोच ग़लत है, रोशनी दूसरे घर शादी करके चली जाएगी। तुम्हारे साथ कौन रहेगा रजत न, तनिक सोचो बहिन! मेहनत की कमाई व्यर्थ हो जाएगी।" एक बार तो शीला को यह गलत लगा, परंतु कहीं न कहीं वह भी उस संकीर्ण मानसिकता की शिकार थी।

रोशनी उस दिन कॉलेज से घर आयी और आते ही माँ ने कह दिया - "रोशनी ! बस तुमने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब मुझे रजत की पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैं जो पैसा कमाती हूँ, उससे तुम दोनों को नहीं पढ़ा सकती।" यह सुन रोशनी स्तब्ध रह गयी, मानो उसके सारे सपने चूर-चूर हो गए हों। रोशनी पूरी रात इसी सोच में आँखें डबडबाती रही कि अगर वो आगे पढ़ाई नहीं कर पायी, तब क्या करेगी। इसी सोच में आँख लगी और स्वप्न में रोशनी ने देखा कि वह बाल्यरूप में अपने उस कच्चे घर में बैठी है। सामने एक बहुत बड़ी किताब है। उसको खोलते ही रोशनी को एक सुंदर दृश्य दिख रहा है। सूखे पतझड़ से दूर एक खिलखिलाता हुआ बसंत। इस स्वप्न ने रोशनी को बता दिया कि वह दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई उसको कामयाब होने से नहीं रोक सकता फिर ये गरीबी और समाज भी नहीं। प्रातः उठते ही उसने सोचा कि वह पढ़ेगी और खुद कमा कर अपनी पढ़ाई करेगी। रोशनी ने गाँव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और उससे कोचिंग की फ़ीस के लिए पैसे इकट्ठे किए। रोशनी स्कूल से आने के बाद पन्द्रह किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर कोचिंग जाती थी और बैंक अफ़सर बनने के लिए तैयारी शुरू कर दी। वहीं रजत कॉलेज भी पास नहीं कर पाया और एक दुकान में उसने काम करना शुरू कर दिया।

एक दिन जब रोशनी ख़ुशी से चिल्लाती हुई आयी "माँ सुन रही है तेरी रोशनी बैंक में अफ़सर बन गयी है।" माँ सुन के खुशी से रो पड़ी। उसे यह अफ़सोस भी था कि जिस रोशनी को उसने पराया धन समझा, समाज के डर से उसको आगे बढ़ने से रोका; वह रोशनी नहीं रुकी, बल्कि उसने अपना रास्ता खुद ही बना लिया।

ऐसी बहुत सी बेटियाँ हैं जो आज भी समाज की बुराइयों से जूझ रही हैं। चाह कर भी वे पढ़ने नहीं जा पा रही हैं। कोई आर्थिक तंगी की शिकार है तो कोई उस संकीर्ण सोच की शिकार है। ज़रूरत है इस मानसिकता को बदलने की और छोटे गाँव और क़स्बों में भी रह रही बालिकाओं को शिक्षित कराने की।

प्राण-चिकित्सा

वैशाली रामटेके
मुख्य प्रबंधक
विधि विभाग
कोल्हापुर अंचल

आजकल देखने में आया है कि बदली हुई जीवन-शैली, गलत खान-पान, व्यायाम की कमी, तनाव आदि के कारण लोगों को कई रोगों का सामना करना पड़ रहा है, परिणामस्वरूप लोग भिन्न-भिन्न उपचार पद्धतियों की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं जिससे कि शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त हो सके।

प्राण-चिकित्सा एक अपरंपरागत उपचार पद्धति है जिसका उद्देश्य शरीर की ऊर्जा प्रक्रिया को संतुलित करना है। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे शरीर को प्रभावी ढंग से कार्य करने और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है।

प्राचीन एशियाई देश जैसे कि भारत, चीन, तिब्बत में उपलब्ध उपचार पद्धतियों पर शोध करके ग्रैंड मास्टर चोआ कोक सुई ने सम्पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से आधुनिक प्राण-चिकित्सा को विकसित किया है।

दुनियाभर की संस्कृतियों में 'जीवन-शक्ति' के बारे में बताया गया है। उदाहरण के लिए, चीन में इसे 'ची' के रूप में और जापान में 'की' के रूप में जाना जाता है। प्राचीन संस्कृत में इसे 'प्राण' के रूप में जाना जाता है। इसे 'प्राणिक हीलिंग' भी कहा जाता है जिसमें 'प्राण' अर्थात जीवन-शक्ति के उपयोग से रोगों का उपचार किया जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा के मुख्य स्त्रोत निम्नानुसार हैं -

सूर्य : सूर्य की ऊर्जा को धूप सेकने, सूर्य की ओर देखने और सूर्य के प्रकाश से भारित पानी के माध्यम से अवशोषित कर सकते हैं।

वायु : वायु में विद्यमान ऊर्जा को श्वास द्वारा विविध योग जैसे कि प्राणायाम, त्वचा के छिद्रों के माध्यम से अवशोषित कर सकते हैं।

पृथ्वी : अर्थात जमीन में मौजूद ऊर्जा को अपने पैरों के तलवों में मौजूद छोटे चक्रों या दबाव बिन्दुओं से अवशोषित कर सकते हैं।

इसके अलावा चौथा मूल तत्व है - 'ईश्वरीय प्राण' जिसकी मदद से रोग ठीक किया जाता है। आध्यात्मिक साधना से शरीर में 'ईश्वरीय प्राण' को बढ़ाया जा सकता है।

शरीर की प्राण ऊर्जा जब असंतुलित होती है, तब शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है जिससे शरीर में दूषित, रोगयुक्त ऊर्जा पैदा होती है। प्राणिक हीलिंग द्वारा शरीर की दूषित ऊर्जा को बाहर निकालकर उसकी जगह 'प्राण ऊर्जा' डाली जाती है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोग ठीक किया जाता है।

प्राणिक हीलिंग अर्थात प्राण-चिकित्सा में मुख्यत: शरीर के आभा मण्डल तथा शरीर में स्थित ऊर्जा केंद्र, जिसे 'चक्र' कहा जाता है, पर काम किया जाता है ताकि रोग को शरीर में उत्पन्न होने से पहले ही जड़ से दूर किया जा सके। शरीर में रोग उत्पन्न होने के बाद भी शरीर के उस हिस्से में मौजूद दूषित ऊर्जा को निकालकर उसकी जगह स्वस्थ प्राण ऊर्जा प्रवाहित की जाती है जिससे धीरे धीरे रोग ठीक होने लगता है।

प्राणिक हीलिंग द्वारा मामूली बुखार, सर्दी, खाँसी से लेकर बड़ी बीमारियां जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, एनीमिया आदि का भी उपचार किया जाता है। इस थैरेपी के माध्यम से खुशी, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हुए शारीरिक ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया जाता है। इस चिकित्सा से मानसिक विकार भी ठीक किए जाते हैं।

यह एक अत्यंत सरल, लेकिन प्रभावी चिकित्सा पद्धति है। दूसरे आधुनिक उपचार के साथ प्राणिक हीलिंग के उपयोग से रोग को जल्दी ठीक किया जा सकता है। यह मानवजाति के लिए एक वरदान है जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए।

मेरी जगन्नाथपुरी यात्रा

तुषार नाईक
एयरपोर्ट रोड शाखा
भोपाल अंचल

जगन्नाथ धाम वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। "जगन्नाथ के भात-जगत पसारे हाथ" के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तभी से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने तथा महाप्रसाद पाने की इच्छा थी। इसी इच्छा के वशीभूत हम सपरिवार ट्रेन से जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहाँ मंदिर से थोड़ी दूर उत्कल होटल में रुके। सुबह-सुबह स्नान कर हमने भगवान श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी की पूजा-अर्चना कर परिसर के अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए। यहां से हम सब रसोई देखने गए।

यहां की विशाल भोजशाला में बनने वाला महाप्रसाद भारतीय संस्कृति के अनुरूप सुव्यवस्थित और हजारों वर्षों से नियमित है। हमने बत्तीस कमरों वाली रसोई देखी। सात सौ बावन चूल्हों पर लकड़ी के ईंधन से महाप्रसाद बनाया जाता है। हमने देखा कि सात सौ मिट्टी की हांडियों में विविध प्रकार के छप्पन भोग पकाए जाते हैं। हमने देखा कि विविध हांडियों में भात, राजामूंग, खीर, दालमा, अनासपीठा, पापड़ी, आसापीठा, वल्लभलाडू, मीठी पूड़ी, खाजा, माखनी, छैनागोला, घुघरी, केशरिया भात, हलवा, पोड़ा, गाजा, छैनापोड़ा, चक्कापीठा, छैनाझिल्ली, पुड़ी और कई प्रकार की सब्जियाँ पाँच सौ रसोइए अपने तीन सौ सहायकों के साथ पकाते हैं।

भगवान जगन्नाथ जी को छः बार प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी गई है। इसका नाम 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में भी दर्ज है। प्रतिदिन बीस हजार से ज्यादा भक्त महाप्रसाद खाते हैं। इस भोजशाला का भोजन न तो कभी कम पड़ता है और न ही बचता है। शाम को भोजशाला के बंद होते ही सारा प्रसाद खत्म हो जाता है। मंदिर की चारों दिशाओं में चार बड़े भव्य द्वार हैं, इनकी शिल्पकला लाजवाब है। मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा है।

दूसरे दिन हम प्रकृति की अनुपम भेंट एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अर्थात चिल्का झील (लैगून) देखने बस से गए। अंदर बोट में घूमने का टिकट लिया। खारे पानी और मीठे पानी का मेल ही इसकी विशेषता है। दिसंबर से जून तक पानी खारा रहता है और जुलाई से नवंबर तक इसका पानी मीठा रहता है। चिल्का झील में ही पक्षी विहार तथा अभ्यारण है। हम बोट में बैठकर डॉल्फिन प्वाइंट सतपारा पहुंचे। यहां दुर्लभ प्रकार की डॉल्फिन हैं जो बार-बार पानी के बाहर छलांग लगाकर सुंदर मनोरम दृश्य की सुखानुभूति देती हैं। उन्हें उछल-कूद करते देखना रोमांचकारी अनुभव है। यहां अन्य मछलियों की एक हजार से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां से लौटते समय रास्ते में हमने ग्रामीण होटल में सिंगाड़ा (समोसा), घुघनी की सब्जी, अरीसापीठा (अनारसे) तथा चाय का आनंद लिया। यहां समोसे में आलू कम, गाजर-मशरूम ज्यादा डालते हैं।

अपनी यात्रा के तीसरे दिन हम कोणार्क का विश्वविख्यात सूर्य मंदिर देखने गए। वास्तुकला की यह बेजोड़ धरोहर है। यह रथ के आकार में है। इसमें 12 चक्र (पहिये) हैं। प्रत्येक चक्र में आठ रेप हैं जो कि प्रहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। धूप की किरणें जब पड़ती हैं, तब ये सही समय बताती हैं। मंदिर में नृत्य मुद्रा, श्रृंगार करती नायिकाएं तथा मैथुनरत मूर्तियाँ हैं जो कि भारतीय संस्कृति तथा आमोद-प्रमोद को व्यंजित करती हैं।

अपने विद्वान गाइड और फोटोग्राफर के साथ हम सब सुखद यादों के साथ वापस उत्कल होटल पहुंचे। उड़ीसा के लोग, होटल कर्मचारी, व्यापारी, पुजारी सभी मेहनती, मधुर भाषी हैं। उनके बोले गए शब्द कानों में मिश्री घोलते हैं।

महाप्रसाद के भोजन की तरह ही शब्द भी एक तरह का भोजन हैं। किस समय, कौन सा शब्द परोसना है, वह समझ जाए तो दुनिया में हमसे बढ़िया रसोईया कोई नहीं हैं। हम सब सुपरफास्ट ट्रेन से सुखद एहसास लिए कब वापस भोपाल आ गए, पता ही नहीं चला।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी बैंकों की भूमिका

उषा
प्रबंधक
मोगप्पेर शाखा
चेन्नई अंचल

अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। सरकारी बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकारी बैंक उद्योग और व्यापार के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे देश के धन और संसाधनों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सरकारी बैंक वित्तीय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

बैंक लंबे समय से भारत की सफलता के इंजन रहे हैं, जो बड़ी आबादी को कम लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। लाखों उद्योगों, विशेष रूप से मध्यम और छोटे उद्यमों की लघु और मध्यम अवधि की ऋण आवश्यकता को पूरा करते हैं। बैंक पूंजी को उचित समय पर उत्पादक संपत्ति में अंतरित करने में सक्षम बनाते हैं। आर्थिक विकास में बैंकिंग संस्थाओं के योगदान एवं महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

बचत का एकत्रीकरण: सरकारी बैंक बचतकर्ताओं से उनकी छोटी-छोटी बचत का संग्रहण करते हैं। इन बैंकों का कार्य है कि लघु बचत को एकत्र कर उत्पादक कार्यों में लगाना।

पूंजी निर्माण: सरकारी बैंक अपने द्वारा संकलित कोषों को उद्यमकर्ताओं को उपलब्ध करवाते हैं, जिससे पूंजी का निर्माण होता है। विकासशील एवं अल्पविकसित देशों में इन संस्थाओं की विशेष भूमिका होती है। बैंक लोगों में बैंकिंग आदतों का विकास करते हैं और बचत के प्रवाह को उत्पादक कार्यों की ओर प्रोत्साहित करते हैं जिससे पूंजी निर्माण की दर ऊंची उठती है।

सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी: बैंकिंग संस्थाएं वित्तीय बाज़ार को गतिमान बनाती हैं तथा उसे सुदृढ़ता एवं स्थिरता प्रदान करती हैं जिससे उत्पादन, उपभोग एवं विनिमय से संबंधित क्रियाओं का विस्तार होता है। रिज़र्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति का सफल क्रियान्वयन भी इन्हीं संस्थाओं पर निर्भर करता है।

नवीन कोषों का सृजन: सरकारी बैंक अपनी वित्तीय गतिविधियों से नवीन कोषों का सृजन या साख का निर्माण करते हैं। बैंक अपनी जमा क्रियाओं के माध्यम से मुद्रा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सरकारी बैंक वित्तीय बाज़ार में उपलब्ध वित्तीय कोषों के भंडार में काफ़ी वृद्धि करते हैं।

जोखिम का विस्तार: बैंकिंग संस्थाएं अनेक बचतकर्ताओं से धनराशि संगृहीत करती हैं तथा उचित विनियोजन करती हैं। बचतकर्ता बड़े पैमाने की बचत का लाभ उठा सकते हैं।

उद्योग एवं व्यापार के लिए उपयोगी: सरकारी बैंक ऋणों के माध्यम से व्यवसाय व उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक ओर ये संस्थाएं व्यवसाय व उद्योग की बचत को विनियोग में परिवर्तित करती हैं तो दूसरी ओर उनकी वित्तीय मांग की पूर्ति भी करते हैं।

वित्तीय बाज़ार में तरलता: सरकारी बैंक बड़ी आसानी से किसी भी परिसंपत्ति को शीघ्रता से नकद धनराशि में परिवर्तित कर देते हैं। ये बैंक वित्तीय बाज़ार में चलनिधि बनाए रखने में सहायक होते हैं। बैंकों द्वारा अल्पकालीन उधार दिया जाता है जो चलनिधि बनाए रखने में सहायक होता है।

वित्तीय बाज़ार में स्थिरता: सरकारी बैंक ऐसी विभिन्न परिसंपत्तियों व देयदाताओं में क्रय-विक्रय करते हैं जिनसे वित्तीय बाज़ार में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के मध्य समन्वय स्थापित होता है। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों एवं व्यापारिक बिलों में लेन-देन करके भी बैंकिंग संस्थाएं वित्त बाज़ार को स्थिरता प्रदान करती हैं।

सरकार के लिए महत्व: सरकारी बैंक एक ओर केंद्र सरकार के लिए प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय में मदद करते हैं तो दूसरी ओर राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों को ख़रीद कर उनकी वित्तीय सहायता भी करते हैं। इस प्रकार बैंकिंग संस्थाएं केंद्र

तथा राज्य सरकार के वित्तीय कोषों के प्रवाह में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

ऋणदाताओं के लिए लाभकारी: सरकारी बैंक ऋण देते हैं। ऋणदाताओं की वित्तीय निधियों को जमा करके उन्हें ब्याज के रूप में प्रतिफल प्रदान करते हैं तथा स्वयं जोखिम लेकर उधारकर्ता को धनराशि ऋण के रूप में देते हैं तथा ब्याज के रूप में प्रतिफल प्राप्त करते हैं।

व्यापारिक कार्य: सरकारी बैंकों को नगरपालिका, सरकार और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बाज़ार निर्माताओं के रूप में काम करने की अनुमति है। बैंक अपनी बाज़ार-निर्माण गतिविधियों के माध्यम से जारीकर्ताओं को काउंसलिंग, एडवाइज़री और तकनीकी निर्देश प्रदान कर सकते हैं।

क्रेडिट निर्माण: बचत और निवेश को बढ़ावा देने के अलावा सरकारी बैंक उद्योगों के लिए भी उत्पादक संपत्ति बनाने में मददगार होते हैं। बैंक के इस क्रेडिट का अर्थव्यवस्था पर विभिन्न तरीक़ों से प्रभाव पड़ता है।

उद्यमिता का विकास: सरकारी बैंक देश के उद्यमियों को पूंजी प्रदान करके और उत्पादक उद्देश्यों में निवेश करके आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही, वाणिज्यिक बैंक बेरोज़गारी को कम करते हैं और सही उद्योगों को भी बढ़ावा देते हैं।

बचत का वित्तीयकरण: बचत के तौर पर अपना धन बचाने के लिए वाणिज्यिक बैंक सबसे सुरक्षित स्थान हैं।

धन सृजन: सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को सेफ़्टी लॉकर और निवेश के अवसरों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। धन सृजन करके अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाते हैं। सरकारी बैंक उद्योग और निवेश को बढ़ावा देते हैं जिससे स्वचालित रूप से रोज़गार उत्पन्न होते हैं तथा अर्थव्यवस्था का विकास होता है।

वर्तमान के डिजिटल युग और कठिन व्यापक आर्थिक संदर्भ में भी सरकारी बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। सरकारी बैंक हमारे देश की आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बैंक लंबे समय से भारत की सफलता का इंजन रहे हैं जो देश की आबादी को कम लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं और लाखों उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं।

इस प्रकार बैंक अपनी क्रियाशीलता एवं सक्रियता से आर्थिक क्रियाओं की वित्त व्यवस्था करता है और परिणामस्वरूप चहुँमुखी विकास को गति मिलती है।

अब वो पहले सी बात नहीं रही

आज जब खुद को आईने में देखा तो पाया कि चेहरे पर
अब वो पहले सी रौनक नहीं रही
बालों में वो पहले सी चमक नहीं रही
और अब वो पहले सी बात नहीं रही।

ज़िंदगी की प्राथमिकताएँ बदल गईं,
जिम्मेदारियां दिन पर दिन दोगुनी होती गईं।

खुद के लिए अब वक्त भी नहीं रहा
और अब वो पहले सी बात भी नहीं रही।

शक और ख़्वाहिशों को एक बक्से में डाल दिया है
खुश भी हूँ, कोई कमी भी नहीं है
दिन भी है वही, रात भी वही है
फिर भी अब वो पहले सी बात नहीं रही।

भाग दौड़ की ज़िंदगी ने कठपुतली जैसा बना दिया है,
सुकून के पलों के लिए आँखें हैं तरस रहीं
वो दिन अब लौटकर नहीं आने वाले,
बस यही खुद को समझाती रही कि अब वो पहले सी बात नहीं रही।

अपना लिया है अब इसी ज़िंदगी को
क्यूँकि नारी जीवन है यही
अब फर्क नहीं पड़ता कि क्या है गलत और क्या है सही
क्योंकि अब वो पहले सी बात नहीं रही।

डिम्पल गंगानी
अधिकारी
न्यू रानिप शाखा
अहमदाबाद अंचल

"चारी सर"

हरिओम द्विवेदी
वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक
नरवल शाखा
कानपुर अंचल

साल 2014 की गर्मियाँ थीं। प्रोन्नति अपने साथ स्थानांतरण की परेशानी भी लेकर आई थी। कानपुर से सीधे खंडवा रवाना होना पड़ा। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी और पठारों पर बसा एक छोटा सा शहर है खंडवा। 30 जून को जब वहाँ पहुंचा तो बारिश दस्तक दे चुकी थी। बादलों के साथ नमी ओढ़े हुए हवा का ठंडापन महसूस हो रहा था, मगर घर से सैकड़ों मील दूर होने की कसक अब भी बाकी थी। मुझे आंचलिक कार्यालय में तैनाती मिली थी। अपनी सीट पर बैठे-बैठे कभी-कभी विचार शून्य हो जाता था कि क्या करें और क्या न करें। कानपुर का एक और साथी, अभिषेक, मेरे साथ उसी ऑफिस में था। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अजनबी शहर में नौकरी की तूफानी नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे।

एक दिन मैं अपनी सीट पर बैठा था। पूरे फ्लोर पर लगभग 15 लोग थे। एक बुजुर्ग से सज्जन हाथ में जूट का थैला लिए दाखिल हुए। किसी से बिना कुछ कहे उन्होंने थैला मेज पर रख दिया और उस थैले से एक बड़ा सा थर्मस और कागज़ के कप निकालकर मेज पर सजाने लगा। सब लोग उन्हें 'गुड मॉर्निंग सर' बोल रहे थे। धीरे-धीरे उन्होंने थर्मस से चाय उन कागज के कपों में डालना शुरू किया। एक दो लोग उनकी मदद भी कर रहे थे। एक-एक करके चाय सबके पास पहुंची, मेरे पास भी आई। चाय पीकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई में चाय अद्भुत थी। मैं ये कौल उठा सकता हूँ कि मैंने जीवन में कभी ऐसी चाय नहीं पी। सारा साज-ओ-सामान समेट कर वो सज्जन वापस चले गए। बाद में मेरे सहकर्मियों ने बताया कि वो 'चारी सर' हैं। मैं 2014 के जून में वहाँ पहुंचा था और एक महीने पहले यानि कि मई 2014 में उनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी थी। उनका नाम पी. चारी था जिसके 'पी' का अर्थ मुझे अब भी नहीं पता था। खैर उसका कोई खास फर्क भी नहीं था क्योंकि वो तो चारी सर के नाम से ही पहचान रखते थे। चारी सर मूलत: दक्षिण भारतीय थे और खंडवा में आकर बस गए थे। जीवन भर अविवाहित रहे और सेवानिवृत्ति के बाद भी अकेले ही रहते थे। कुछ दिन बाद चारी सर ऑफिस में फिर से नमूदार हुए। इस बार उनके जूट के थैले से सूजी का हलवा निकला। परंपरागत तरीके से वो हलवा कागज की प्लेटों में सबके सामने गया। मुझे भी मिला, अद्भुत स्वाद था। मैंने अपने साथियों से पूछा कि क्या ये सब चारी सर खुद बनाते हैं, तो पता चला कि हाँ, और ये भी पता चला कि वो ये सब खुद नहीं खाते हैं, उन्हें डायबिटीज की बीमारी थी, न चाय पीते थे न ही हलवा खाते थे, बस हम सबको खिलाने के लिए लेकर आते थे।

एक बार चारी सर इंदौर से ढेर सारे दुर्लभ फल लेकर आए। वो सारे फल उन्होंने एक टोकरे में सजाकर रखे। वे सबको फल दिखाना चाहते थे। हम सब लड़के उत्साह में फलों को छू रहे थे तो वो अपने दक्षिण भारतीय अंदाज़ में हम सबको फल छूने के लिए मना कर रहे थे। मैंने पहली बार ड्रैगन फ्रूट उसी दिन देखा था। फिर चारी सर ने एक-एक करके सारे फल हम लोगों को खुद ही काटकर चखाए। सबके हिस्से थोड़े-थोड़े फल आए। ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। धीरे-धीरे मुझे भी चारी सर का इंतजार रहने लगा। एक ढीली सी शर्ट, पैंट में बिना 'टक' किए हुए पहनते थे, पैरों में चप्पल और हाथ में जूट का थैला। इसी वेश में चारी सर बाजार में भी अक्सर मिल जाते थे। वे मुझे नाम से नहीं जानते थे मगर चेहरे से पहचानने लगे थे। एक बार चारी सर इंदौर में कोई इन्टरनेशनल क्रिकेट मैच देखकर आए थे। मुझसे बहुत देर तक विराट कोहली की बल्लेबाजी की तारीफ करते रहे और सुनील गावस्कर से विराट कोहली की तुलना करते रहे, आखिर में मुझसे बोले, "आपका नाम क्या है?" बताने के बाद भी वो फिर से भूल जाते थे। चारी सर आंतरिक लेखा विभाग में रहे थे। ऑफिस में सब बताते थे कि चारी सर बहुत मेहनत करते थे। हर शाखा में फोन करके वो एक ही बात अलग-अलग लोगों को बार-बार समझाते थे, बिना थके हुए, बिना ऊबे हुए और बिना चिड़चिड़ाए हुए।

हम सब चारी सर के बनाए हुए पकवान खा रहे थे और बीमारियाँ धीरे-धीरे चारी सर को खाती जा रही थीं। 62 वर्ष की उम्र में ही वे बहुत शिथिल और बीमार लगने लगे थे। अपनी पूरी उम्र उन्होंने घर में अकेले ही काट दी थी। खून का कोई रिश्ता उनके साथ नहीं था। शायद उन्होंने अपने इसी अकेलेपन को अपने सहकर्मियों के साथ साझा कर लिया था। मैं अक्सर ये सोचता था कि कैसे वे अपने कमजोर शरीर के साथ खाने-पीने की ये सब चीजें बनाया करते थे और वह भी मेरे जैसे अजनबी के लिए जो एक महीने पहले उन्हें जानता भी नहीं था। लेकिन शायद चारी सर ने इसी में अपने जीवन का साध्य तलाश कर लिया था। यही उत्साह उन्हें स्वस्थ बनाए रखता था कि सुबह उठकर हम लोगों के लिए कुछ बनाएँगे। बात करते हुए चारी सर बच्चों की तरह चहकते थे। उनके माथे पर लगा लाल टीका और उनके बोलने का दक्षिण भारतीय अंदाज़ बहुत आकर्षक लगता था।

2017 की सर्दियाँ थीं। मैं छुट्टी लेकर कानपुर आया था। अभिषेक खंडवा में ही था और उससे दिन में कई बार फोन पर बात होती थी। एक सुबह उसने बताया कि चारी सर इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे मुंह से निकला "अरे, ये कैसे हुआ?" अभिषेक को भी कुछ खास पता नहीं था। छुट्टियों के खत्म होने के बाद मैं वापस खंडवा गया तो पी॰ चारी का कमजोर सा शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका था। अब उनका जूट का थैला कभी ऑफिस नहीं आएगा, उस थैले से वो अद्भुत चाय अब कभी नहीं मिलेगी। सरोज मिश्रा सर बता रहे थे कि अंतिम संस्कार में घाट पर एक भी आदमी उनका अपना नहीं था। बात सही भी है, अपना होना हम लहू के रिश्तों से ही तो तय करते हैं और वो तो चारी सर ने कभी बनाया ही नहीं। हम शायद चारी सर को उस हद तक अपना नहीं बना पाये थे जिस हद तक उन्होंने हम लोगों को अपना बना लिया था। उनके जाने के बाद उनकी जमा पूंजी को लेकर छीना झपटी भी हुई।

चारी सर को गुजरे हुए पाँच साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। उनकी पुण्यतिथि याद करने की शायद किसी को फुर्सत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें भूल गए हों, बस समय की रेत ने उनकी यादों पर एक परत चढ़ा दी है। हालांकि जब भी हम उनका ज़िक्र छेड़ते हैं तो हर कोई अपने-अपने हिस्से की कहानी सुनाता है। खंडवा में पाँच सालों का प्रवास पूरा करके मैं अपने शहर कानपुर आ गया हूँ। मेरे और भी बहुत से साथी अपने-अपने शहरों की ओर चले गए, उनमें से अभिषेक और वैभव जैसे कुछ साथी तो इस दुनिया से भी चले गए हैं। हम सब के भीतर चारी सर अभी भी ज़िंदा हैं, कहीं थोड़े से कम तो कहीं थोड़े से ज्यादा। उनकी चाय का जायका उम्र भर हम सबकी ज़ुबान पर अठखेलियाँ करता रहेगा और हम सबको उनकी ज़िंदादिली की याद दिलाता रहेगा।

है भीड़ का प्रवाह किधर

है भीड़ का प्रवाह किधर, मंज़िल तिरोभूत है।
होड़ में शामिल हो तुम, शिथिल एक वजूद लिए ??

पाश रीत के निर्वहन का, आग़ोश ये दुर्मेध्य है।
मतभेद है पर रीत बंधन, जला रही हयात है।।
होड़ में शामिल हो तुम, शिथिल एक वजूद लिए??

भान तृण का, सैलाब में, अशक्ता सम्बृद्ध है।
मन: शक्ति सबल कर। निशाँ अपनी जुदा बना।।
होड़ में शामिल न हो, शिथिल एक वजूद लिए।

संशय की त्यक्ता, दृढ़ तू संकल्प कर।
सुपथ चयन औ कर्मयोग़, सजग बन सतत चलो।।
होड़ में शामिल न हो, शिथिल एक वजूद लिए।

हौसला, नेकनीयती औ पौरूष, अनुकरणीय मिशाल बन।
मार्ग एक सशक्त बना, प्रखर एक वजूद लिए।।
होड़ में शामिल न हो, शिथिल एक वजूद लिए।

मन: चक्षु पर वार कर, भ्रम पर प्रहार कर,
चेतना उजियार कर, नवीन पथ निर्माण कर।
मार्ग एक सशक्त बना, प्रखर एक वजूद लिए।।

मार्ग एक सशक्त बना, प्रखर एक वजूद लिए।।

पी के सिन्हा
मुख्य प्रबंधक
गांधीनगर अंचल

रानी रासमणि

संजय कुमार सेन
प्रबंधक (राजभाषा)
हावड़ा अंचल

अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो पता चलेगा कि भारतीय महिलाएं हमेशा से सामाजिक परिवर्तन की द्योतक रही हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया और समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन उनके योगदान को बड़ी ही आसानी से भुला दिया गया।

ऐसी ही एक भूली-बिसरी नायिका है, कोलकाता की रानी रासमणि। एक ऐसी रानी जो वास्तव में रानी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों पर इस हद तक राज़ करती थी कि कोलकाता के लोग उन्हें सम्मान से आज भी रानी के रूप में ही याद किया करते हैं।

28 सितंबर 1793 को केवट समुदाय में जन्मी रासमणि के माता-पिता भी मछलियां पकड़ने का काम करते थे। तब संभ्रांत बंगाली समुदाय में उस समुदाय को खास तवज्जो नहीं मिलती थी, बल्कि साथ उठने-बैठने का भी हक नहीं था। एक छोटे समुदाय से होने की वजह से उनके परिवार को कभी समाज में सम्मान की नज़रों से नहीं देखा गया।

जब वे 7 साल की थीं, तो उनकी मां का निधन हो गया। मात्र 11 साल की उम्र में शादी करके जिस घर पहुंची, वहां वह तीसरी पत्नी थी। पारिवारिक तौर पर भी उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पति बाबू राजचंद्र दास उम्र में उनसे काफी बड़े थे। हालांकि यहां से रानी की आर्थिक स्थिति सुधरी क्योंकि उनके पति जमींदार थे। बाबू राजचंद्र दास ने भी रासमणि के तीक्ष्ण दिमाग को देख उन्हें अपने साथ व्यापार में शामिल कर लिया था।

पति-पत्नी साथ मिलकर व्यापारिक समझौते किया करते लेकिन ये भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका और बाबू राजचंद्र दास की मृत्यु हो गई। तब, उस समय की विधवा स्त्रियों की तरह सती होने या फिर घर बैठ जाने की बजाए रानी रासमणि ने जायदाद की देखभाल करने और उसे बढ़ाने का जिम्मा ले लिया। पति की मृत्यु के बाद रानी ने अपने जीवन के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया था। पितृसत्ता से लड़ते हुए और विधवाओं के खिलाफ़ तत्कालीन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार कर, चार युवा बेटियों की माँ रासमणि ने पारिवारिक व्यापार की बागडोर संभाली। यह उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी।

जब उनके पति के विरोधियों और जान-पहचान वालों ने ये बात सुनी तो वे बड़े खुश हुए कि अब वे कंपनी का आसानी से अधिग्रहण कर पाएंगे। उनकी सोच के अनुसार, एक विधवा महिला ज्यादा समय तक उनके सामने टिक नहीं पाएगी।

लेकिन अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए रासमणि ने व्यापार को पूरी तरह से संभाल लिया और अपने विरोधियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वह बड़े ही व्यावहारिक तरीके से काम कर रही थी। उनके इस काम में मथुरानाथ बिस्वास ने काफी मदद की थी। शिक्षित युवा मथुरानाथ ने रासमणि की तीसरी बेटी से शादी की थी। मथुरा बाबू (जैसा कि उन्हें कहा जाता था) लेन-देन का सारा काम संभालते थे। वह रासमणि के विश्वासपात्र थे और हमेशा उनका दाहिना हाथ बनकर काम करते रहे।

समाज सुधार के काम किए

उन्होंने कोलकाता में कई पक्के घाट बनवाए, सड़कें और बगीचे बनवाए। लेकिन रानी को सबसे ज्यादा याद दो वजहों से किया जाता है। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज (तब हिंदू कॉलेज) की शुरुआत के लिए भारी रकम दान की थी। साथ ही, बहुतेरे स्कूल-कॉलेज में बड़ी रकम दान की।

सती प्रथा और बाल विवाह का किया विरोध

बाद के कुछ वर्षों में उन्होंने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई। एक तरफ वह समाज में मौजूद बाल-विवाह, बहु-

विवाह और सती प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे अग्रणी समाज सुधारक का समर्थन भी किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बहुविवाह के खिलाफ़ एक मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया था।

कैसे दिया अंग्रेज़ों को उनकी भाषा में जवाब?

सन् 1840 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अपना ध्यान गंगा नदी के लंबे तटों की तरफ लगा रही थी। बंगाल प्रेसिडेंसी से होकर गुजरने वाली यह नदी, मछुआरा समुदाय के लोगों की जीवन-रेखा थी। वे अपनी आजीविका के लिए नदी के इन तटों पर ही निर्भर थे।

यह तर्क देते हुए कि मछुआरों की छोटी नावें, घाट पर बड़ी नावों (फैरी) की आवाजाही में बाधा डाल रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी नौकाओं पर कर लगा दिया। नदी में मछली पकड़ने की गतिविधियों को कम करते हुए अतिरिक्त राजस्व कमाने का यह अंग्रेज़ों का एक आसान तरीका था।

अपनी रोज़ी-रोटी को लेकर परेशान मछुआरे, कुलीन ज़मींदारों के साथ मामला दर्ज कराने के लिए कलकत्ता गए थे। लेकिन उन्हें वहां से कोई समर्थन नहीं मिला। हर तरफ से निराश होने के बाद वे आखिर में रासमणि के पास पहुंचे। उन्होंने इस बारे में कुछ करने के लिए उनसे अपील की।

इसके बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद शायद अंग्रेज़ों ने भी नहीं की होगी। रासमणि ने 10 हजार रुपये देकर ईस्ट इंडिया कंपनी से हुगली नदी (कलकत्ता से होकर बहने वाली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी) के दस किलोमीटर के हिस्से के लिए एक इजारा (पट्टा समझौता) हासिल किया। उन्होंने अपने पट्टे वाले क्षेत्र को घेरने के लिए हुगली में लोहे की दो बड़ी जंजीरें लगा दीं और फिर मछुआरों से इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए कहा।

रासमणि की चाल से कंपनी के अधिकारी हतप्रभ थे। उनके इस कदम से हुगली नदी पर जहाजों का जमावड़ा लग गया। जब अधिकारियों ने रासमणि से स्पष्टीकरण मांगा, तो उन्होंने कहा कि अपनी संपत्ति से होने वाले आमदनी की सुरक्षा के लिए वह ऐसा कर रही है। व्यावसायिक स्टीमशिप उसके इजारा में मछली पकड़ने की गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं।

लोहे की जंजीरों से बंधे क्षेत्रों के दोनों और नावों के जमा होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को रासमणि के साथ एक समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मछली पकड़ने पर लगाया गया टैक्स खत्म कर दिया गया और मछुआरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए गंगा में उनकी आवाजाही पर लगी रोक हटा दी गई।

हुगली नदी हमेशा के लिए बन गई 'रानी रासमणि जल'

रासमणि ने बड़ी चालाकी से ईस्ट इंडिया कंपनी को मात दे दी। एक सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद, साल 1960 में प्रख्यात बंगाली लेखक गौरांग प्रसाद घोष ने इस ऐतिहासिक घटना के एक मात्र अवशेष की तस्वीर खींची थी। यह तस्वीर उस विशाल बड़ी सी खूंटी की थी, जिसे कभी हुगली नदी में जंजीरों को बांधने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था।

यह खूंटी भले ही लोगों को याद न हो, लेकिन मछुआरे अपनी रानी को कभी नहीं भूले। बंगाली लेखक समरेश बसु ने अपनी किताब 'गंगा' (मूल रूप से 1957 में 'जन्मभूमि' पत्रिका में प्रकाशित) में लिखा था - "नदी हमेशा के लिए 'रानी रासमणि जल' बन गई।"

"द हिंदू" में इस कहानी का विस्तार से जिक्र हुआ है कि कैसे एक विधवा और तथाकथित निचली जाति से आने वाली महिला ने अपने तेज दिमाग से अंग्रेजों के व्यापारिक दिमाग को झटका दे दिया था।

दक्षिणेश्वर काली मंदिर इन्हीं की देन

रानी रासमणि ने कोलकाता के पास प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर भी बनवाया। इसके लिए ब्राह्मणों ने उन्हें काफी भला-बुरा कहा और निम्न कही जाने वाली शूद्र जाति की महिला द्वारा बनाए गए मंदिर में पुजारी बनने से इनकार कर दिया था। उस समय तमाम विरोधों के बीच धार्मिक नेता रामकृष्ण परमहंस, मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में काम करने के लिए आगे आए।

मंदिर के निर्माण और व्यावसायिक कौशल ने उन्हें कलकत्ता के प्रशासनिक दायरों में बहुत सम्मान दिया। यह दलितों और गरीबों के लिए काम करने की सोच ही थी, जिसने इन्हें इन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था।

स्वाभिमानः आत्मसम्मान का प्रतीक

सचिन भास्कर
वरिष्ठ प्रबंधक
विपणन विभाग
आगरा अंचल

"न झुकना, न अपने किरदार को झुकने देना,
अगर लेनी पड़े सांसें स्वाभिमान बेचकर, तो मत लेना"

स्वाभिमान, हमारे अस्तित्व का महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व है। यह हमारे स्वभाव की प्रतिष्ठा, गर्व और सम्मान का स्त्रोत होता है। स्वाभिमान हमें अपनी अहमियत, अपने सामर्थ्य का बोध कराता है और हमें अपने मूल्यों को पहचानने और उन्हें समझने की प्रेरणा देता है।

स्वाभिमान, अपनी अनोखी पहचान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह हमें आत्म-संयम, स्वयं सेवा और समर्पण के माध्यम से अपनी प्रगति के लिए प्रेरित करता है। यह हमें समाज की सेवा हेतु उत्साहित करता है और हमें सामरिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में सशक्त बनाने के लिए भी प्रेरित करता है।

स्वाभिमान हमें अपनी सीमाओं को पार करने, विपरीत स्थितियों का सामना करने और बाधाओं से मुक़ाबला करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यह हमें स्वावलंबी बनाता है जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामर्थ्यपूर्ण कदम उठाते हैं।

स्वाभिमान हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह हमें खुद के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता की अनुभूति कराता है। स्वाभिमान हमें अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जिम्मेदार बनाता है और हमें अपने अवसरों को ध्यान में रखने की क्षमता प्रदान करता है।

स्वाभिमान व्यक्ति को सच्चाई, ईमानदारी, त्याग और नैतिक मूल्यों की ओर प्रवृत्त करता है। यह हमें दूसरों के साथ आदर्श संबंध बनाने में सहायक होता है और मनुष्य को समानता के साथ देखने की क्षमता भी प्रदान करता है।

स्वाभिमान हमारी अस्तित्व की गहराई को दर्शाता है और हमें अपनी संपूर्ण क्षमता को जीवन में प्रकट करने की प्रेरणा देता है। यह हमें एक सशक्त, संतुलित और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर करता है।

इसलिए, हमें स्वाभिमान की महत्ता को समझना चाहिए और इसे हमें अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। स्वाभिमान हमें अपनी मूल्यों को पहचानने, खुद की देखभाल करने और संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा-स्त्रोत बनने का अवसर प्रदान करता है। स्वाभिमान हमारे अस्तित्व का महत्वपूर्ण आधार है और यह हमें महान और उच्चतम रूप में उभरने का संकेत करता है।

मैं महिला हूँ

कुछ यूँ आज फरमायी हूँ
मैं महिला हूँ, यह सोचकर इतरायी हूँ।
नाजुक हूँ, मगर कमजोर नहीं
मैं महिला हूँ, यह सोचकर मुसकाती हूँ।
थोड़ी डरती हूँ, थोड़ी निडर हूँ
मैं महिला हूँ, यह सोचकर अकड़ती हूँ।
सुंदर भी हूँ, सुदृढ़ भी हूँ
मैं महिला हूँ, यह सोचकर मचलती हूँ।
कभी रहूँ पीछे तो कभी आ जाऊँ आगे
मैं महिला हूँ, यह सोचकर चलती हूँ।

धरती जैसी सहनशीलता, आकाश जैसा खुला मन
मैं महिला हूँ, यह सोचकर खिलती हूँ।
बेटी से बनी बहू, बहू से बनी माँ
मैं महिला हूँ, यह सोचकर निभती हूँ।
कभी इंटरप्रेन्यूर, कभी सिपाही तो कभी राष्ट्रपति
मैं महिला हूँ, यह सोचकर फतह कर जाती हूँ।
बहती नदी हूँ, पत्तों सी हरी हूँ, प्रेम से भरी हूँ
मैं महिला हूँ, अपने पापा की परी हूँ।

आराधना गुप्ता
वरिष्ठ प्रबंधक
खेलारी शाखा
रांची अंचल

परिश्रम ही सफलता की कुंजी है

पवनजीत कुमार
सामान्य परिचालन विभाग
मुंबई उत्तर अंचल

बचपन से ही सुनते और पढ़ते आए हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी हैं। बिना मेहनत किए न तो चींटी को अपना खाना मिलता है और न ही राजा को अपना राज मिलता है। भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता में यही कहा था कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा न करो। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसके लिए लगातार परिश्रम करते रहिए, कभी न कभी वह आपको जरूर हासिल होगा। कहा जाता है कि जो मन में बनता है वही जीवन में बनता है। जो कुछ हम सोचेंगे वह हो सकता है, जो हम मन में ठानेंगे वह हम कर सकते हैं लेकिन उसको करने के लिए ललक एवं दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए। हमें अपनी मंजिल हासिल करने के लिए एक रास्ता तय करना होता है और उस रास्ते पर चलने के लिए अत्यधिक परिश्रम और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यदि उन कठिनाइयों को हम पार करते हैं तो वह मंजिल हमें एक दिन अवश्य ही मिलती है। जब कभी हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो उस काम के रास्ते में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ आती हैं और हमें उन समस्याओं को रौंदकर और कुचल कर आगे बढ़ना होता है। रास्ते में जो काँटे हैं, उन्हें उखाड़ कर फेंक देना है और जब हम इतनी मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतने पागल होंगे, तो इस पागलपन को देखकर सफलता भी हमारे आगे नतमस्तक होगी। अपनी सफलता के लिए एक जुनून होना चाहिए, काम को करने के लिए एक ललक होनी चाहिए। सफलता की पहली कुंजी श्रम है, इसके बिना सफलता का स्वाद भी नहीं चखा जा सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ने, सुख-सुविधा के साथ रहने, एक मुकाम हासिल करने तथा सफलता पाने के लिए हर इंसान को श्रम करना ही होता है। भगवान ने श्रम करने का सामर्थ्य इंसानों के साथ-साथ प्रत्येक जीव-जंतु को दिया है। जीव-जंतु एवं पक्षियों को भी सुबह उठकर अपने खाने-पीने का इंतजाम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है ताकि वह अपना पालन-पोषण खुद कर सके। दुनिया में प्रत्येक जीव-जंतु को अपना पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह इंसानों को भी बचपन से ही मेहनत करनी पड़ती है चाहे वह पढ़ाई के लिए हो या पैसे कमाने के लिए या फिर नाम कमाने के लिए, श्रम के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। बिना संघर्ष के मिली सफलता विजय नहीं कहलाती है और न ही समाज में इसके लिए प्रशंसा होती है। इसीलिए परिश्रम ऐसे करो कि सफलता शोर मचा दे।

"अपनी क्षमता से अधिक प्रयास करना ही
सफलता का मार्ग हैं"

इसके विपरीत कुछ लोग परिश्रम की जगह भाग्य को अधिक महत्व देते हैं। ऐसे लोग केवल भाग्य पर ही निर्भर होते हैं। वे भाग्य के सहारे जीवन जीते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि भाग्य के सहारे रहना, जीवन में आलस्य को जन्म देता है और आलस्य जीवन व स्वयं मनुष्य के लिए एक अभिशाप बन जाता है। वे लोग यह समझते हैं कि जो हमारे भाग्य में होगा, वह हमें अवश्य ही मिलेगा और वे परिश्रम करना व्यर्थ समझते हैं। आलसी व्यक्ति हमेशा दूसरे के भरोसे पर जीवन यापन करते हैं। वे अपने हर कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। इन्हीं वजहों से भारत देश कई वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। लेकिन जैसे-जैसे हमने परिश्रम की महत्ता को समझा, हमने गुलामी की बेड़ियाँ को तोड़ कर स्वतंत्रता की ज्योति जला ली। आलस्य का एक बड़ा कारण आज-कल सोशल मीडिया, मोबाइल और नई

तकनीक है। जहां सोशल मीडिया आज के समय में मनुष्य की आवश्यकता बन गई है, वही सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव भी नजर आ रहे हैं। बच्चे अब मैदान में खेलने के बजाय मोबाइल पर खेल रहे हैं। बड़े लोग अपने खाली समय में लोगों से मिलने-जुलने, घूमने-फिरने के बजाय सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं। सोशल मीडिया एवं मोबाइल ने लोगों की शारीरिक गतिविधि, याद रखने की क्षमता एवं परिश्रम करने की क्षमता को कम किया है।

"सफलता हाथों की लकीरों से नहीं
माथे के पसीने से मिलती है।"

विश्व के कई महापुरुषों ने अपने कठिन परिश्रम से सफलता हासिल की है और आज वे विश्वविख्यात हैं। इसके कई उदाहरण हैं जैसे 1. थॉमस एडिसन - इन्होंने कई महत्त्वपूर्ण आविष्कार किए जिसमें बिजली का बल्ब प्रमुख है। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों बार प्रयोग किये थे, तब जाकर उन्हें सफलता मिली थी। 2. अब्राहम लिंकन - इनका जन्म एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ था तथा बचपन में ही उनके माता-पिता का देहांत हो गया था, फिर भी वे अपने परिश्रम के बल पर एक झोपड़ी से निकलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गये थे।

परिश्रम से कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। सफलता पाने के लिए आपको खराब से खराब हालत से लड़ना पड़ेगा। ईश्वर ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त ये है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। बिना हार माने लगातार मुसीबतों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना ही सफलता की कुंजी है। याद रखें कि कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। विजेता वही है जो कभी हार नहीं मानता और अंत तक कठिन परिश्रम करता है जब तक कि सफलता उसके कदम नहीं चूम लेती है।

"अपनी असफलताओं से घबराए बिना निरंतर प्रयास करते
रहना ही सफलता की कुंजी है।"

मुश्किलों से ही सीखूंगी उनसे लड़ने की रीत

मत थामो इन मुश्किलों को, जरा उलझने दो हमसे,
उनको भी समझने दो, राह में आए हैं किसके।
कह दो उनसे, हम सबके गले लगते खुशी से,
डर कर पीछे हटने वालो में, हम कभी न बैठ सके।

सीधी राह कभी न होगी,
राह पर हर मोड़ तो मुश्किलें ही तय करेंगी।

राह न छोड़ेंगे चाहे तू हर मोड़ पर मिल,
उम्मीदें न तोड़ेंगे चाहे कितने भी गम हो शामिल,
सिद्धांतों पर भरोसा रखेंगे,
चाहे लाख बार टूटे थे दिल,
आत्मविश्वास पर ही निर्भर रहेंगे,
चाहे कितनी भी दूर हो मंजिल।

ना डर तू इन मुश्किलों से ये राह को सजाती हैं।
'थोड़ा और लड़ ले इनसे' जीत की बेशुमार खुशी दे जाती हैं।

अंत में हार हो या जीत, तुझसे ही सीखूंगी
तुझसे लड़ने की रीत।
तुझसे ही सीखूंगी तुझसे लड़ने की रीत।

प्राची देशपांडे
मुंबई ओवरसीज शाखा,
मुंबई दक्षिण अंचल

भारत का अमृत काल

कीर्ति दहिया
अधिकारी
बेंगलुरु सेवा शाखा
बेंगलुरु अंचल

"अंग्रेजों के राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि अंधेरे में भगवान भी अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते" - अज्ञात

अंग्रेज़ व्यापार के प्रयोजन से भारत आए। व्यापार किया और तरक्की देखी। अपनी उन्नति के लिए नए क्षितिज देखे। व्यापार से आरंभ हुई उनकी कर्म-कथा सम्पूर्ण देश पर राज पर आकर रुकी और इस राज के तले दबे हुए भारत ने 400 वर्ष व्यतीत किए।

15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। आजादी से आज तक अनेक उतार-चढ़ाव देखे। किन्तु देश सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहा, और आज भी है।

देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। निसंदेह, यह सत्य है। किन्तु यहाँ तक का सफर कैसा रहा, हम सफर के आरंभ में कैसे थे, इसे ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है।

अंग्रेजों का राज

औपनिवेशिक शासन का भारत में केवल एक कार्य था-उन्होंने कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली एक औद्योगिक इकाई के रूप में भारत को संकुचित कर दिया था, जो कि इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति में निरंतर आहुतियाँ डाल रहा था।

अंग्रेजों के आने से पहले, देश की अर्थव्यवस्था आत्म-निर्भर थी। आय का मुख्य जरिया खेती थी। इसके अतिरिक्त देश का हस्तकला उद्योग, विशेषत: रेशमी व सूती वस्त्र उद्योग बेहद लोकप्रिय था। बंगाल में बनने वाला मलमल नामक सूती कपड़ा शाही घरानों में उपयोग किया जाता था।

इसके अतिरिक्त, देश का एक बहुत बड़ा तबका कृषि पर निर्भर था। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, देश का 85 प्रतिशत भाग अपने जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर था।

सदैव ही अंग्रेजों का लक्ष्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का था। भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े।

देश का 85 प्रतिशत जनमानस अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर था। इसके बावजूद, अंग्रेजों ने कृषि में सुधार के लिए न कोई उपाय किए और न ही नयी तकनीक को बढ़ावा दिया। परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र की आय घटती गयी।

कैसे अंग्रेजों ने कृषि क्षेत्र को कुपोषित किया, इसके लिए जमींदारी प्रथा का उदाहरण लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की। इसके अंतर्गत, जमीन का मालिक जमींदार था और कर के बदले अपनी जमीन किसानों को जोतने के लिए देता था। वह कर की उगाही के लिए कुछ लोगों को रखता था। शुल्क न चुका पाने की स्थिति में ये लोग किसान की मवेशियों को उठा ले जाते थे। उसे अपमानित किया जाता था। कर की रकम भी बहुत अधिक थी। और कई मामलों में, अगर फसल अच्छी न हुई अथवा वर्षा की कमी के चलते नष्ट हो गयी तो भी किसान को कर चुकाना पड़ता था। रुपये न होने की दशा में किसान को साहूकार से उच्च ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था। एक ओर जमींदार, दूसरी ओर साहूकार। आगे कुआं, पीछे खाई। संक्षेप में, एक साधारण किसान का जीवन नर्क समान था। इसके अतिरिक्त, तकनीक का निम्न स्तर, सिंचाई के साधनों का अभाव, और कीटनाशकों और खाद का न के बराबर उपयोग, अनेक चीजें थीं जिनके कारण किसानों की दशा अत्यंत दयनीय थी। इन्हीं कारणों से, 1917 में घटित चंपारण सत्याग्रह और 1918 में घटित खेड़ा सत्याग्रह वे घटनाएँ थीं जिनमें अत्यधिक शोषण के चलते किसानों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी थी।

कृषि क्षेत्र की तरह, अंग्रेजों के राज में औद्योगिक क्षेत्र भी दयनीय दशा में था।

अंग्रेज़ साधारणतया, गर्मी के मौसम में भी, ऊन या चमड़े के बने वस्त्र धारण करते थे। जब उन्होंने भारत में बने सूती कपड़ों को देखा, तब उन्हें लगा कि गर्मी में पहनने के लिए ये कपड़े आरामदायक और उपयुक्त हैं। तो इंग्लैंड के लोगों में सूती कपड़ों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इससे इंग्लैंड के पारंपरिक वस्त्र निर्माता भयभीत हो गए और उन्होंने सूती वस्त्रों के विरुद्ध रोष जताया। उनकी बिक्री प्रभावित होने लगी थी। इंग्लैंड की संसद ने मामले को देखा और 1700 ईस्वी में कलिको कानून पास कर दिया गया। इस कानून के अंतर्गत, भारत से आयातित सूती वस्त्रों को गोदाम में बंद रखा गया और यूरोप के दूसरों देशों में उनका निर्यात कर दिया गया। हालांकि इस कानून में सूती वस्त्रों के व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इसके बाद भी इंग्लैंड के वस्त्र निर्माताओं को संतोष नहीं आया। फलस्वरूप 1721 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाया गया।

अंग्रेजों के साथ यह एक विचित्र मसला था। एक ओर वे भारतीय वस्त्रों की कलाकारी और गुणवत्ता से आकृष्ट थे, वहीं वे भयभीत भी थे कि इन वस्त्रों की वह होड़ न कर पाएंगे।

अंग्रेजों ने भारत में वि-औद्योगीकरण की प्रक्रिया अपनायी। वि-औद्योगीकरण से आशय है-किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों का क्रमश: कम होना तथा उससे संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन। इस प्रक्रिया में विशेषत: भारी उद्योगों या निर्माण उद्योगों में कमी आती है।

वि-औद्योगीकरण की प्रक्रिया अपनाने के पीछे अंग्रेजों का प्राथमिक उद्देश्य निम्न था:

(क) ब्रिटिश उद्योगों हेतु भारत को सस्ती दर पर कच्चे माल का निर्यातक बनाना।

(ख) अंग्रेजी उत्पादों को भारतीय बाजार में उच्च दर पर बेचना।

इन्हीं नीतियों का परिणाम था कि 17वीं शती में भारत विश्व के 25 प्रतिशत वस्त्रों का निर्माण कर रहा था, और 1947 में यह घटकर केवल 2 प्रतिशत तक रह गया था। इस प्रक्रिया को प्रेक्षित करके, 1840 ईस्वी में ऊटी के संस्थापक जॉन सल्लीवन ने कहा था, "अंग्रेज़ स्पंज की तरह कार्य करता है, और फलता-फूलता है। वह गंगा नदी के किनारे से धन सोखता है, और थेम्स के किनारे पर निचोड़ता है।"

इनके अतिरिक्त, आज अंग्रेजों के संग्रहालयों में अनेक वस्तुएँ ऐसी हैं जो वे हमारे देश से लेकर गए थे। उनमें से कुछ उल्लेखनीय वस्तुएँ निम्नलिखित हैं:

1. **कोहिनूर हीरा-** कोहिनूर मुगल सम्राटों के मयूर सिंहासन से संबंधित था जिसे वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में कोल्लूर खदान से खनन किया गया था। यह मूल रूप से 793 कैरेट का था जब इसे काटा गया था। 1849 में, अंग्रेजों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करने के बाद, इसे रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। 1852 में, रानी विक्टोरिया ने कोहिनूर हीरे को नया रूप दिया और इसे कई अवसरों पर काफी बार पहना।
2. **टीपू सुल्तान की अंगूठी -** जब मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जिन्हें 'टाइगर ऑफ मैसूर' के नाम से भी जाना जाता है, 1799 में अंग्रेजों से एक लड़ाई हार गए, तो उपनिवेशवादियों ने उनके शरीर से उनकी तलवार और अंगूठी चुरा ली। तलवार भारत को लौटा दी गई थी, लेकिन 2014 में अंग्रेजों द्वारा अंगूठी को £145,000 में नीलाम कर दिया गया था।
3. **अमरावती मार्बल -** अमरावती संग्रह, जिसे कभी-कभी अमरावती मार्बल्स भी कहा जाता है, भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के अमरावती, गुंटूर में अमरावती स्तूप से ब्रिटिश संग्रहालय में 120 मूर्तियों और शिलालेखों की एक श्रृंखला है। अमरावती की कलाकृतियां 1880 के दशक में संग्रहालय में शामिल हुईं। सर वाल्टर इलियट के साथ उनके सहयोग के कारण अमरावती की मूर्तियों को कभी-कभी इलियट मार्बल्स भी कहा जाता था, जिन्होंने उन्हें 1840 के दशक में साइट से मद्रास में हटा दिया था।

इनके अतिरिक्त, भारतीय सेना ने ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में प्रथम विश्व युद्ध भी लड़ा था। लगभग 10 लाख भारतीय सैनिकों नें युद्ध लड़ा, जिसमें से 62,000 मारे गए और

अन्य 67,000 घायल हो गए। युद्ध के दौरान कुल मिलाकर 74,187 भारतीय सैनिक मारे गए थे। 1919-20 के अंत तक युद्ध की लागत में भारतीय राजस्व का योगदान £146.2 मिलियन था। आज के संदर्भ में, ये राशि लगभग 14 बिलियन पाउंड होगी।

द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 25 लाख भारतीय सैनिकों ने अपनी सेवाएँ दीं। इसमें से 36,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, 34,000 घायल हुए और 67,000 युद्ध-बंदी बना लिए गए। युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को पूर्वी और उत्तरी अमरीका, इटली, म्यांमार, सिंगापुर आदि स्थानों तक भेजा गया था।

इन सबके अतिरिक्त, अंग्रेज बंधुआ मजदूर के रूप में 19वीं शती में दस लाख से अधिक भारतीयों को यूरोपीय उपनिवेशों में ले गए थे। इन बंधुआ मजदूरों को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था, जिस कारण इन्हें 'गिरमिटिया" के नाम से जाना गया। इन्हें फिजी, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका और कैरेबियन (ज्यादातर त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना और सूरीनाम) में वृक्षारोपण पर काम करने के लिए ले जाया गया था।

केवल इतना ही नहीं, अपने अंत काल में, जब सूर्य अंग्रेजों के शासन पर अस्त हो रहा था, तब भी अंग्रेजों ने स्वतंत्रता के नाम पर भारत देश के दो टुकड़े कर दिए। एक का नाम भारत, दूसरे का पाकिस्तान रखा गया। अंग्रेजों की निर्ममता का एक उदाहरण यह भी है कि इतने बड़े फैसले के लिए, उन्होंने देश को बांटने का काम सिरिल रेडक्लिफ़्फ़ नामक अंग्रेज़ को सौंपा गया जो कि इतने बड़े देश से परिचित भी नहीं था। उसने केवल 5 सप्ताह में यह कार्य किया और अपने रूपये लेकर चलता बना। धर्मों के आधार पर बने इन नव देशों में जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ। बहुत से मुस्लिम भारत से पाकिस्तान गए, बहुत से हिन्दू और सिख पाकिस्तान से भारत आए। अंग्रेजों की इस मूर्खता के कारण, करीब 10 लाख लोग मारे गए और 1.46 करोड़ लोगों को शरणार्थियों के तौर पर विस्थापित होना पड़ा। धर्मों के आधार पर बने इन दो देशों में इनकी स्वतंत्रता के समय से ही लड़ाई बनी रही, जो कि वर्तमान में भी ज्यों-की-त्यों है।

वर्तमान में भारत

भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। नव स्वतंत्र देश के पास अनेक समस्याएँ थीं। शरणार्थियों की समस्या, नए देश में कैसी सरकार होगी, सरकार कैसे चुनी जाएगी जैसे अनेक प्रश्न थे। देश की आजादी को 70 साल से अधिक बीत चुके हैं। इन बीते वर्षों में, भारत ने अनेक कठिन चुनौतियों को सुलझा लिया है तो अनेक चुनौतियों से निपटने की प्रक्रिया में है। निम्नलिखित से एक अंदाजा लिया जा सकता है कि 70 वर्षों का भारत का समय कैसा रहा है:

1. 2023 में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
2. 1947 में भारत की जनसंख्या 3.4 करोड़ और साक्षरता दर केवल 12 प्रतिशत थी। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है और साक्षरता दर 74 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, औसत जीवन प्रत्याशा भी 2022 में 32 वर्ष से बढ़कर 70 वर्ष हो गई है।
3. देश में 1948 में 1.40 लाख प्राथमिक और 12,693 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे। आज देश में 15 लाख से अधिक विद्यालय हैं।
4. स्वतंत्रता के समय खेती का जीडीपी में 52 प्रतिशत से अधिक का योगदान था। आज यह केवल 20 प्रतिशत तक सिमट कर रह गया है।
5. स्वतन्त्रता के समय भारत में रेल रूट 53,000 किलोमीटर का था। आज यह 68,100 किलोमीटर का है।

इनके अलावा भी अनेक तथ्य हैं जिनसे दर्शाया जा सकता है कि भारत प्रगति कर रहा है। हाँ, भारत प्रगति कर रहा है किन्तु राह अभी भी बहुत लंबी है। अभी भी अनेक क्षेत्र हैं जिनमें देश चिंताजनक प्रदर्शन कर रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय तो है ही, साथ ही इस जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।

वर्तमान में भारत एक स्वतंत्र देश है। किन्तु इतिहास साक्षी है कि यह स्वतंत्रता बड़ी महंगी है। आज जो भी सुविधाएं हम भोग रहे हैं, इनका मूल्य हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों से अपनी जान से चुकाया था। विदित है, स्वतन्त्रता सस्ती नहीं है, और इसका सदैव स्मरण रहना चाहिए।

तीसरी आँख
सीरीज 3

सुश्री विजिलेंट और मिस्टर प्रूडेंट का क्या कहना है?

हाल ही में स्वर्ण ऋणों के संबंध में कार्रवाई करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण बैंकिंग उद्योग में बड़ी संख्या में धोखाधड़ियों की सूचनाएं मिली हैं। कई बार धोखाधड़ियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि शाखाएं स्वर्ण के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता पर निर्भर होती हैं। इस लेख को स्वर्ण ऋण की मंजूरी पर मूल्यांकनकर्ता के पैनलीकरण, सुरक्षा और परिचालन दिशानिर्देश के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देशों के महत्व को समझने के लिए तैयार किया गया है।

टीम "एफआरएमडी"
एवं "ईएफआरएमएस"
द्वारा संकलित

घटनाओं में देखी गई प्रमुख संभावनाएं :-

- कुछ शाखाओं में केवल एक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त है। निवारक सतर्कता दिशानिर्देशों के अनुसार यथा संभव न्यूनतम 2 मूल्यांककों से काम लेना चाहिए। कुछ शाखाएँ सम्पूर्ण स्वर्ण ऋण प्रक्रिया के लिए भी पूर्णत: मूल्यांकनकर्ता पर निर्भर हो जाती हैं।
- मूल्यांकनकर्ता को शाखा परिसर में शाखा प्रबंधक/अधिकारी की उपस्थिति में सोने के गहनों का वज़न और सत्यापन करना होता है। मूल्यांकनकर्ता द्वारा गहनों के पैकेटों की वैक्सिंग करते समय गहनों के वजन और पैकेट में मौजूद वस्तुओं की संख्या को सत्यापित करते समय शाखा अधिकारी द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिया गया।
- ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए गिरवी रखे जाने वाले आभूषणों का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए गहना ऋण स्वीकृति के नए मामलों में अतिरिक्त गोपनीय ढंग से वांछित जांच नहीं की गई थी।
- गिरवी रखे जा रहे सोने के आभूषणों के मूल्य की तुलना में कथित मालिकों के रूप में उधारकर्ताओं की आर्थिक स्थिति, कमाई की क्षमता, जीवन स्तर के संबंध में समुचित सावधानी नहीं बरती गयी।
- जब उस क्षेत्र के परिवारों के स्तर के अनुसार मद की संख्या व असामान्य आभूषण गिरवी रखे जा रहे थे, तब संबंधित अधिकारी पूरी तरह सतर्क नहीं रहे।
- शाखा के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गहनों के गिरवी रखी जाने की प्रक्रिया पूरी होते ही और अधिकारी द्वारा सत्यापन के तुरंत बाद विवरण दर्ज करने के उपरांत आभूषण बैग को तिजोरी में अविलंब स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
- यदि किसी कारणवश आभूषण गिरवीकर्ता/मूल्यांकनकर्ता को वापस सौंपे जाते हैं, तो उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए स्वीकार करने से पूर्व उनका मूल्यांकन फिर से किया जाना अनिवार्य है।
- शाखाओं में प्रत्येक मौजूदा मूल्यांकनकर्ता की विश्वसनीयता की आवधिक जांच करने और शाखा प्रबंधक द्वारा उन्हें बनाए रखने की वांछनीयता की आवधिक जांच करने में शाखा विफल रही है।
- आरबीआईए के निरीक्षण के दौरान स्वर्ण ऋण खातों में गिरवी रखे गए आभूषणों के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान अन्य शाखा के अधिकारियों और मूल्यांककों को शामिल करते हुए उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। शाखा के मौजूदा मूल्यांकनकर्ता को शामिल नहीं करना चाहिये।
- नियमित ऋण निरीक्षण के दौरान भी सत्यापन करने वाला अधिकारी सतर्क नहीं था।

सुश्री विजिलेंट और मिस्टर प्रूडेंट का क्या कहना है?

रोकथाम इलाज से बेहतर है; क्योंकि....

'धोखाधड़ी और छल इतिहास की शुरुआत से ही प्रचलित हैं .... पीतल को सोना बताया गया है; कांच को हीरे के रूप में बेचा गया है; जहर को उत्कृष्ट भोजन के रूप मे परोसा गया है। युगों-युगों से धोखाधड़ी की कहानी मानव इतिहास का एक बदसूरत अध्याय बनाती है।

-जॉन आन्द्रेयास विड्त्सो

(विड्त्सो "चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर-डे सेंटस के बारह प्रेरितों के कोरम में 1921 से अपनी मृत्यु तक एक सदस्य थे। विड्त्सो एक प्रसिद्ध लेखक, वैज्ञानिक और अकादमिक भी थे। विड्त्सो 'ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी'' (बीवाईयू) में कृषि के प्रोफेसर थे, और बीवाईयू के जीव विज्ञान और कृषि कॉलेज के संस्थापक माने जाते हैं।)

टीम "एफआरएमडी"
एवं "ईएफआरएमएस"
द्वारा संकलित

अभी क्या करें?

- सभी मामलों में केवाईसी मानदंडों का विधिवत अनुपालन किया जाना चाहिए और आवश्यक दस्तावेजी प्रमाणों को शाखा रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। (मूल्यांकनकर्ता द्वारा पहचाने गए उधारकर्ताओं को मंजूरी देते समय शाखा को अधिक सतर्क और अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए)।
- सोने के रत्नजड़ित आभूषणों/आभूषणों का मूल्यांकन, मूल्यांकन ज्ञापन में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें गिरवी रखे गए आभूषणों का विवरण, सकल वजन, शुद्ध वजन, कैरेट, मूल्यांकन दर, अग्रिम मूल्य आदि शामिल हो। स्वर्ण मूल्यांकन ज्ञापन पर मूल्यांकनकर्ता, उधारकर्ता और शाखा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। मूल्यांकन ज्ञापन की एक प्रति उधारकर्ता को दी जानी चाहिए, जिसे सोने के गहने / आभूषणों के मोचन के समय प्रस्तुत करना होता है।
- स्वर्ण ऋण के लिए पहचान किए गए ग्राहक और शाखा अधिकारी के सामने स्वर्ण को गिरवी रखने से संबंधित सभी प्रक्रिया जैसे कि मूल्यांकन और पैकेटों को सील करना और उसको तुरंत सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना सुनिश्चित करना चाहिए।
- मूल्यांकनकर्ता की भूमिका केवल स्वर्ण की शुद्धता का परीक्षण करने तक सीमित है। गिरवी रखे स्वर्ण के गहनों/आभूषणों को हमेशा दो पदाधिकारियों अर्थात शाखा प्रबंधक और अधिकारी के नियंत्रण में सुरक्षित रखा जाए।
- काउंटरों और अन्य मुख्य क्षेत्रों के प्रवेश/निकास को सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित करें। सीसीटीवी कैमरे गैर-व्यावसायिक घंटों के दौरान और न्यूनतम 90 दिनों की रिकॉर्डिंग के साथ भी चालू रहना चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए।
- शाखा यह सुनिश्चित करे कि सीसीटीवी/सेंधमारी अलार्म/पैनिक अलार्म का वार्षिक रखरखाव अनुबंध हर समय वैध है और संबंधित एजेंसी द्वारा उसका नियमित रखरखाव किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम/वॉल्ट जैसे सुरक्षा क्षेत्रों में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश कड़ाई से निषेध हो।
- शाखा अधिकारी अपना पासवर्ड किसी के साथ कभी भी साझा न करें और मूल्यांकनकर्ता को शाखा अधिकारी और ग्राहक की उपस्थिति में ही आभूषणों का मूल्यांकन करना चाहिए।

सुश्री विजिलेंट और मिस्टर प्रूडेंट का क्या कहना है?

सभी चमकती चीज़ सोना नहीं होती।

टीम "एफआरएमडी"
एवं "ईएफआरएमएस"
द्वारा संकलित

हम अगले अंक में अधिक जानकारी के साथ वापस आएंगे।-
तब तक...
-"एक विवेकपूर्ण बैंकर बनें और नुकसान से बचें।"

अस्वीकरण खंड:- इस सार-संग्रह को बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों के विभिन्न तौर-तरीकों का हवाला देते हुए संकलित और तैयार किया गया है और ऐसे सभी परिदृश्यों को सुझावात्मक निवारक उपायों के साथ एक स्थान पर समेटा गया है। किसी भी विवाद/अस्पष्टता के मामले में, पाठक इस संबंध में बैंक के विस्तृत शाखा परिपत्रों और आरबीआई के मास्टर निर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं।

- उधारकर्ताओं के साथ मूल्यांकनकर्ता के अनावश्यक मेल-मिलाप अथवा बातचीत को हतोत्साह किया जाना चाहिए और बैंक अधिकारियों को ग्राहक से सीधा संपर्क स्थापित करना चाहिए। मंजूरी से पहले रु.5 लाख से अधिक के ऋण की राशि के लिए पुनर्मूल्यांकन (उसी शाखा के किसी अन्य मूल्यांकनकर्ता या किसी अन्य शाखा के मूल्यांकनकर्ता द्वारा) कराया जाना चाहिए जहां शाखा का बकाया स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो यथा दिनांक ----- रु.10 करोड़ से अधिक हो।
- गिरवी रखे सोने के गहनों/आभूषणों को सदैव दोहरे नियंत्रण अर्थात शाखा प्रबंधक और अधिकारी के संयुक्त नियंत्रण में सुरक्षित रखना चाहिए। स्ट्रॉंग रूम में कोई भी अस्थायी कर्मचारी/ अधीनस्थ कर्मचारी/ मूल्यांकनकर्ता किसी भी समय चाबियों या गहने के पैकेटों को संभालने के कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। इसका कड़ाई से पालन हो।
- संयुक्त अभिरक्षक/शाखा प्रमुख सभी स्वर्ण ऋण संबंधी लेन-देन के लिए समान रूप से जिम्मेदार होंगे, जिसमें सोने का सुरक्षित रखरखाव, गहने की वस्तुओं की संख्या के साथ स्टोरेज कुंजी की अभिरक्षा, सोने का सकल वजन, सोने का निवल वजन, कैरेट, शुद्धता की उत्कृष्टता, दैनिक आधार पर प्रधान कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रति ग्राम दर आदि शामिल हैं।
- आभूषण मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्ता और उसके संबंधियों को स्वर्ण ऋण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए शाखाओं को आभूषण मूल्यांकनकर्ता के सह-दायित्व या उसकी व्यक्तिगत गारंटी स्वीकार नहीं करनी चाहिए।
- जहां भी संभव हो, शाखा में दो मूल्यांकनकर्ता होने चाहिए और मूल्यांकन का कार्य शाखा प्रबंधक के विवेकपूर्ण निर्णय के अनुसार किसी विशेष मूल्यांकनकर्ता को दिया जाना चाहिए और मूल्यांकनकर्ता को बारी-बारी से बदलना होगा।
- वार्षिक ऋण निरीक्षण के दौरान प्रतिनियुक्त अधिकारी को बकाया ऋणों के समनुरूप सभी स्वर्ण-थैलों की गणना करनी चाहिए और तिजोरी में रखी आवक-जावक पासबुक (इस पास बुक को बाहर नहीं रखना है) के साथ मिलान करना चाहिए। उसे इस कार्य में शाखा के मूल्यांकनकर्ता को शामिल नहीं करना चाहिए।
- 18 कैरेट शुद्धता से कम के आभूषणों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हीरे/रत्न के आभूषणों के मामले में, ऋण केवल स्वर्ण के घटक के लिए दिया जाएगा।
- स्वर्ण मूल्यांकनकर्ता को मेमो, ऋण दस्तावेजों में किसी भी प्रकार के सुधार को उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित व अधिप्रमाणित करना चाहिए तथा यह प्रमाणीकरण अनिवार्य होना चाहिए।

कार्यपालकों के लिए हिन्दी कार्यशाला

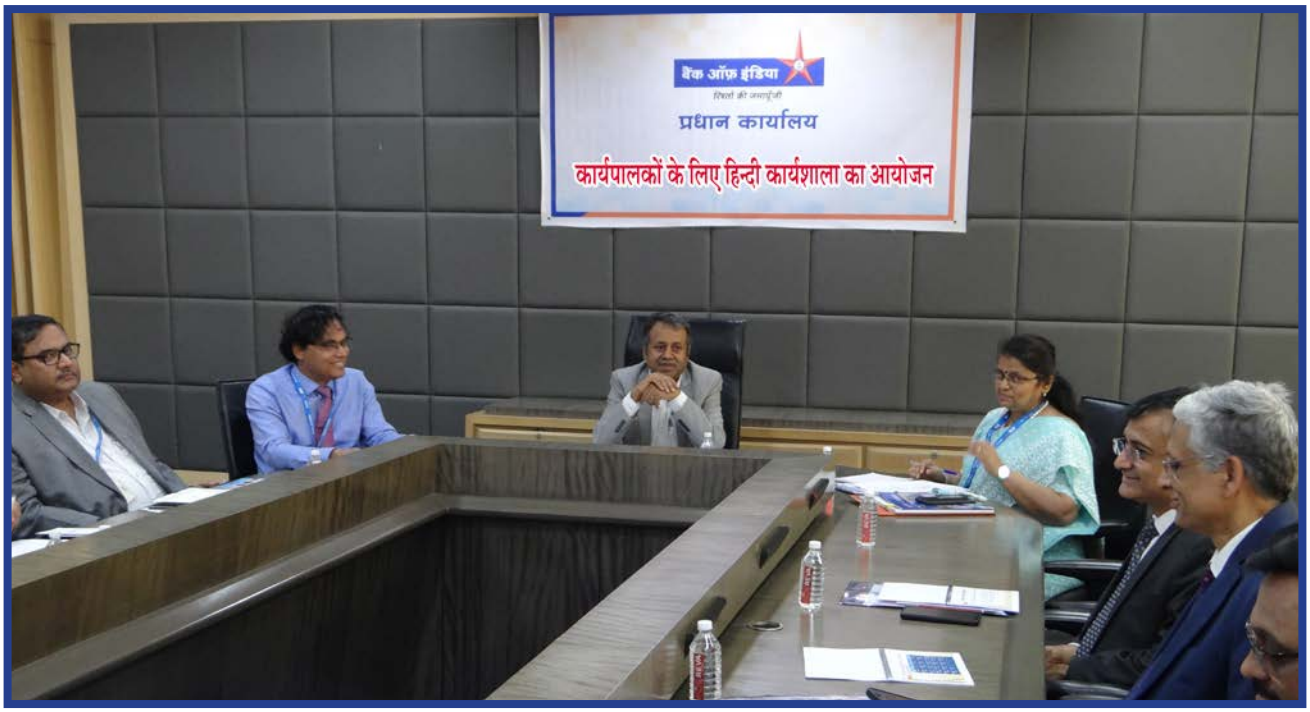

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की अपेक्षाओं के अनुपालन में कार्यपालक निदेशक श्री सुब्रत कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2023 को प्रधान कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधकों एवं महाप्रबंधकों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 15.06.2023 को बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 15.06.2023 को बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ का निरीक्षण किया गया। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति के संयोजक डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता एवं अन्य माननीय सदस्यों की उपस्थिति में निरीक्षण सम्पन्न हुआ। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से श्री पी के द्विवेदी, महाप्रबंधक, श्री विश्वजीत मिश्र, महाप्रबंधक, राष्ट्रीय बैंकिंग समूह उत्तर प्रदेश, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक एवं आंचलिक प्रबन्धक तथा सुश्री मऊ मैत्रा, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) ने सहभागिता की।

अंचलों को प्राप्त नराकास पुरस्कार वर्ष 2022-23

स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, नोएडा (प्रथम पुरस्कार)

राजकोट अंचल (द्वितीय पुरस्कार)

मडगांव शाखा, गोवा अंचल (द्वितीय पुरस्कार)

गांधीनगर अंचल (प्रोत्साहन पुरस्कार)

लुधियाना अंचल (प्रोत्साहन पुरस्कार)

जयपुर अंचल (प्रोत्साहन पुरस्कार)

मुंबई दक्षिण अंचल सम्मान (सक्रिय सहभागिता हेतु)

बैंक ऑफ़ इंडिया के संयोजन में कार्यरत विभिन्न नराकासों की छमाही बैठकों का आयोजन - जून 2023 तिमाही

रत्नागिरी नराकास

नागपुर नराकास

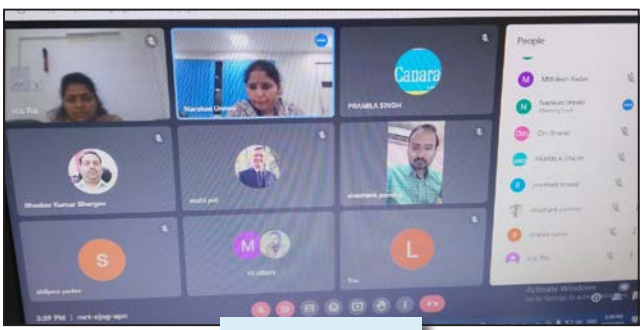

उन्नाव नराकास

केन्दुझर नराकास

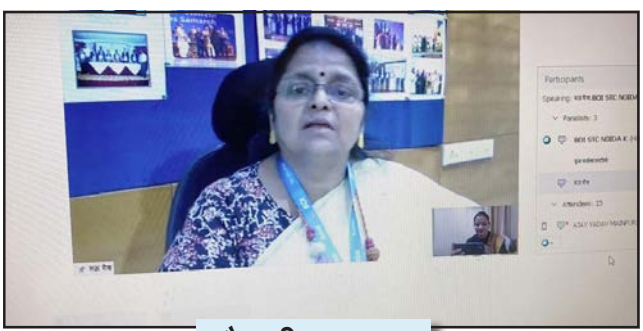

मैनपुरी नराकास

स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, नोएडा नराकास

शिवानी भवसार
लिपिक
केन्द्रीय परिचालन विभाग
इंदौर अंचल